ई-तकनीकी बुलेटिन-1

# बागवानी फसलों के संदर्भ में पौधों की किस्मों का संरक्षण और किसानों का अधिकार अधिनियम

डॉ. बालू राम चौधरी, डॉ. डी. के. सरोलिया, डॉ. रामकेश मीणा, डॉ. हनुमान राम,
डॉ. ए. के. सिंह, डॉ. डी. एस. मिश्रा एवं डॉ. जगदीश राणे

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334 006

संदर्भ : बागवानी फसलों के संदर्भ में पौधों की किस्मों का संरक्षण और किसानों का अधिकार अधिनियम (2023)
ई-तकनीकी बुलेटिन-1

प्रकाशक : निदेशक
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334 006
दूरभाष: 0151-2250147, 2250960
फैक्स: 0151-2250145
ई-मेल: ciah@nic.in
वेबसाइट: ciah.icar.gov.in

लेखक : डॉ. बालू राम चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ. डी. के. सरोलिया, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ. रामकेश मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक
डॉ. हनुमान राम, वैज्ञानिक
डॉ. ए.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ. डी.एस. मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ. जगदीश राणे, निदेशक

भाषा विन्यास : श्री प्रेम प्रकाश पारीक, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

छायाचित्रण : श्री संजय पाटिल, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

अभिकल्पन : श्री भोज राज खत्री, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी

**डॉ. त्रिलोचन महापात्र**
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय)
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

## संदेश

भारत, विश्व पटल पर बागवानी फसलों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। हमारे देश की जलवायुविक विविधता व अलग-अलग मौसम प्रकृति प्रदत्त ऐसा अनमोल उपहार है जो कि विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल है। देश में बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट किस्मों का विकास एक वरदान साबित हुआ है। यह बागवानी फसलों के प्रजनकों को और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के प्रजनन के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। नई उत्कृष्ट किस्मों के विकास से उत्पादक लाभान्वित होते हैं तथा साथ ही पादप जैव-विविधता का संरक्षण भी होता है। देश के विभिन्न भागों में पादप जैव-विविधता के संरक्षण में हमारे किसान भाइयों का भी अहम योगदान है।

अत: आज के इस बदलते युग में प्रजनकों एवं कृषकों के अधिकारों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 2001 में भारत सरकार द्वारा 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम' लागू किया तथा भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 नवम्बर, 2005 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण' की स्थापना की गई। देश में यह प्राधिकरण कृषि विकास में तेजी लाने के लिए नई किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, कृषकों के अधिकारों की पहचान और उनकी रक्षा करना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना, कृषकों को अच्छी गुणवतायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि को सुगम बनाना इत्यादि कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है।

लेखकों ने इस ई-पुस्तिका 'बागवानी फसलों के संदर्भ में पौधों की किस्मों का संरक्षण और किसानों का अधिकार अधिनियम' में प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रजनकों एवं कृषकों के अधिकारों के संरक्षण का विस्तार से विवरण किया है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बागवानी से जुड़े हुए किसानों, शोधकर्ताओं, प्रसारकर्ताओं व विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मुझे प्रसन्नता है कि भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (राजस्थान) तथा इसके क्षेत्रीय परिसर, केन्द्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र, गोधरा (गुजरात) में प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित डी.यू.एस. के कुल नौ बागवानी फसलों के केंद्र (बेर, खजूर, तरबूज, खरबूजा, जामुन, आंवला, बेल, चिरोंजी और इमली) कार्यरत हैं, जिनके परिणामस्वरूप, पादप प्रजनकों एवं कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा का कार्य सुचारु ढंग से किया जा रहा है।

मैं संस्थान को इस कार्य हेतु शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

त्रि. महापात्र

दिनांक: 23 जून, 2023

त्रिलोचन महापात्र

# विषय-सूची


| क्र. सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण: परिचय एवं उद्देश्य | 1-5 |
| 2 | बागवानी के परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व | 6-11 |
| 3 | भारतीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार के परिप्रेक्ष्य में पौधा किस्मों से सम्बंधित कानून | 12-17 |
| 4 | कृषक अधिकार तथा डी.यू.एस. परीक्षण | 18-21 |
| 5 | बागवानी फसल किस्मों का डी.यू.एस. परीक्षण हेतु समूहीकरण | 22-31 |
| 6 | कृषक किस्मों की पंजीयन प्रक्रिया | 32-37 |
| 7 | पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पुरस्कार | 38-50 |

# 1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण: परिचय एवं उद्देश्य

पौधों की किस्मों, कृषकों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु यह आवश्यक समझा गया कि पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसी भी समय किसानों द्वारा किए गए उनके योगदान को मान्यता प्रदान की जाए तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस दृष्टि से भारत सरकार ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001' को स्व-निर्मित (sui generic) प्रणाली अपनाते हुए लागू किया। भारतीय विधान न केवल पौधों की नई किस्मों के सरंक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय यूनियन (उपाव), 1978 की पुष्टि के अनुसार है, वरन इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संस्थाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह विधान पादप प्रजनक संबंधी क्रियाकलापों में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों तथा किसानों, दोनों के योगदानों को मान्यता प्रदान करता है तथा निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ-साथ कम संसाधन वाले किसानों सहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों को सहायता पहुँचाते हुए TRIPS 'ट्रिप्स' (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू) के कार्यान्वयन का प्रावधान भी करता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2005 को "पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण" की स्थापना की। इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त प्राधिकरण के 15 सदस्य होते हैं जिनमें 8 पदेन सदस्य हैं जो विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 सदस्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से, किसानों, आदिवासी संगठनों, बीज उद्योग तथा कृषि कलापों से संबंधित महिला संगठन प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। महापंजीकार प्राधिकरण का पदेन सदस्य-सचिव होता है।

प्रस्तुत अध्याय में पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम से संबन्धित प्रमुख एवं आवश्यक जानकारियाँ दी गई हैं, जो कि निम्नवत हैं;

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के प्रमुख उद्देश्य**

कृषकों को उनके कृषि कार्य एवं अनुभवों के आधार पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 में उनके अधिकारों का सरंक्षण किया गया है, जिसका अधिनियम की अनेक धाराओं में उल्लेख है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
2. नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके सरंक्षण व सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

3. देश में कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना; नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
4. देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

**प्राधिकरण के सामान्य कार्य**

- नई पौधा किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण।
- नई पादप प्रजातियों के लिए डी.यू.एस. (विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व) परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास।
- पंजीकृत किस्मों के गुणों का विकास व उनका प्रलेखन।
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूची-पत्रीकरण (कैटालॉगिंग) की सुविधा।
- कृषकों की किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण तथा उनका सूची-पत्रीकरण।
- उन कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण समुदाय को मान्यता प्रदान करना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैव-विविधता वाले हॉट-स्पॉट में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों से जुड़े पादप आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, सुधार और परिरक्षण के कार्य में संलग्न है।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर तथा राष्ट्रीय जीन बैंक का रखरखाव।

**कृषक की परिभाषा**

अधिनियम की धारा 2 (के) के अनुसार वह व्यक्ति कृषक कहलाता है जो-

1. स्वयं खेत जोतकर फसलें उगाता है; या
2. प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निगरानी रखते हुए अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेत में फसलें उगाता है; या
3. अनेक के साथ अथवा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म का सरंक्षण और परिरक्षण करता है अथवा ऐसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म के उपयोगी गुणों का चयन और उनकी पहचान करके वन्य प्रजातियों का मूल्य प्रवर्धन करता है।

**कृषक किस्म**

अधिनियम की धारा 2 (एल) के तहत कोई भी वह किस्म जो-

1. कृषकों द्वारा अपने खेत में परंपरागत रूप से उगाई व विकसित की गयी हो; या
2. ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति या किस्म जिसके बारे में कृषकों को सामान्य ज्ञान हो।

**कृषकों के अधिकार**

अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत कृषकों को निम्नलिखित अधिकार दिये गए हैं:

1. इस अधिनियम के अंतार्गत वह कृषक जिसने नई किस्म का प्रजनन अथवा विकास किया है, को पंजीकरण व अन्य सुरक्षा का वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे कि एक किस्म के प्रजनक को अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है।
2. कृषक किस्म को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है यदि किस्म आवेदन पत्र कि धारा 18 उपधारा 1 (एच) के अनुसार घोषणा की गई हो तथा उक्त धारा में उल्लेखित शर्तों को पूरा करती हो।
3. कृषक, जो भू-प्रजाति एवं आर्थिक वन्य-संबंधित महत्व के पौधों के आनुवंशिक संसाधन के सरंक्षण, चयन, परिरक्षण एवं सुधार कार्य में लगे हैं, नियमानुसार निर्धारित तरीके से जीन निधि से पुरस्कार एवं मान्यता के हकदार है बशर्ते कि चयनित एवं संरक्षित सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों में दाता जीन के रूप में प्रयोग किया गया हो।
4. कृषक को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के बीज के साथ-साथ प्रक्षेत्र की उपज व किस्म का बीज बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, आदान-प्रदान (विनिमय) करने, भागीदारी (हिस्सेदारी) अथवा विक्रय करने का अधिकार है जैसा कि उसे अधिनियम लागू होने से पहले था तथा कृषक को अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के ब्राण्डेड* बीज के विपणन/ बिक्री करने की अनुमति नहीं है।
5. अधिनियम, 2001 की धारा 39 (2) के अंतर्गत किसी किस्म के निष्पादन न देने पर किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान भी है।
6. किसानों को प्राधिकरण अथवा पंजीकार अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय में कोई भी मुक़दमा दाखिल करने के लिए इस अधिनियम के तहत कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा।

उपरोक्त अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी 'अध्याय 4' में दिया गया है।

---

*उपधारा (iv) के अनुसार ब्राण्डेड बीज का अर्थ उस बीज से है जो किसी पैकेट अथवा किसी अन्य पात्र में रखा और लेबल लगाया गया हो जिससे स्पष्ट होता है कि किस्म का बीज, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। केवल रोक यह है कि कृषक को इस अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित किस्म को ब्राण्डयुक्त करके बेचने का अधिकार नहीं है। अतेव कृषक एवं प्रजनक दोनों के अधिकार सुरक्षित हैं।

**सुरक्षा हेतु पात्र होने के लिए वांछित अनिवार्यताएं**

**नवीनता:** यदि सरंक्षण के लिए आवेदन दर्ज़ करने की तारीख को ऐसी किस्म का प्रजनन या कटाई सामग्री, उसके प्रजनक के द्वारा या उसकी स्वीकृति से या ऐसे किस्म के दोहन के प्रयोजनों से उसके उत्तराधिकारी की स्वीकृति से न बेची गयी हो या अन्यथा दे दी गई हो- (i) भारत में एक वर्ष से पहले, या (ii) भारत के बाहर पेड़ या लता के मामले में छः वर्ष से पहले या किसी अन्य मामले में चार वर्ष पहले हो। यह शर्त विद्यमान और कृषक किस्मों के लिए अनिवार्य नहीं है।

**विशिष्टता:** भारत में तथा देश से बाहर सामान्य ज्ञान की किस्मों से कम से कम एक अन्य अनिवार्य गुण में स्पष्ट रूप से विशिष्ट होनी चाहिए। अनिवार्य गुण वंशानुगत गुण है जो एक या इससे अधिक जीनों द्वारा निर्धारित होता है अथवा अन्य वंशानुगत गुण जो पौधा किस्म के विशिष्ट गुणों, निष्पादन अथवा मूल्य में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हों।

**एकरूपता:** एकरूपता एक विविधता है जो प्रवर्धन के विशिष्ट गुणों में से अपेक्षित होती है तथा इसके अनिवार्य गुणों की समरूपता पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त करती है।

**स्थायित्व:** स्थायित्व वह स्थिति है जब किसी किस्म के सभी अनिवार्य गुण उसके बार-बार प्रवर्धन अथवा प्रवर्धन के विशिष्ट चक्र के पश्चात भी अपरिवर्तित रहतें हैं।

**सुरक्षा की अवधि**

अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण वृक्षों और लताओं के मामले में 9 वर्ष तक तथा अन्य फसलों के मामले मे यह 6 वर्ष तक वैध रहेगा। निर्धारित शुल्क की अदायगी पर शेष अवधि के लिए इनकी समीक्षा की जा सकती है या इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। यह समय पंजीकरण की तिथि से अधिक से अधिक 18 वर्ष (वृक्षों और लताओं के मामले में) तथा 15 वर्ष (किस्म के मामले में) हो सकता है।

**पंजीकरण**

कोई भी किस्म यदि विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व (डी.यू.एस.) के मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करती है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की पात्रता प्राप्त है। केन्द्र सरकार किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से गणों तथा प्रजातियों को विशिष्टीकृत करते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। विभिन्न फसलों में प्राधिकरण ने व्यक्तिगत फसल प्रजातियों के लिए प्रजाति विशिष्ट विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व परीक्षण के लिए दिशानिर्देश या 'विशिष्ट दिशानिर्देश' विकसित किए हैं। जिन फसलों में डी.यू.एस. दिशा निर्देश विकसित हो गए हैं उन फसलों की किस्मों का पंजीकरण करवाया जा सकता है।

**पंजीकरण के लिए शुल्क:** पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्राधिकरण को निर्धारित पंजीकरण शुल्क दिया जाना चाहिए लेकिन प्राधिकरण ने कृषक किस्मों को पंजीकरण शुल्क से मुक्त रखा है।

**राष्ट्रीय जीन बैंक**

प्राधिकरण ने पंजीकृत किस्मों के प्रजनकों द्वारा प्रस्तुत पैतृक वंशक्रमों सहित बीज सामग्री को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इस बैंक में पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए 5 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान की स्थिति के अन्तर्गत बीजों को भंडारित किया जाता है और

यदि राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित करने के कुछ वर्षों बाद आवश्यक हो तो इस बीज को पुनरोद्दारित या पुनर्सबलीकृत किया जाता है जिसकी लागत आवेदक को वहन करनी होती है। राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित बीज का उपयोग अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों को लागू करने हेतु जब कभी भी आवश्यकता पड़े या विवाद उठे, तब किया जाता है। राष्ट्रीय जीन बैंक में इस प्रकार बीज के जमा होने से बाज़ार में धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा  तथा अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि बैंक के पास जमा बीज को तथ्यों के सत्यापन के लिए बाहर निकाला जा सकता है। जब स्वीकृत किए गए पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सामग्री स्वतः ही जन-सामान्य की हो जाती है।

**राष्ट्रीय जीन निधि**

प्राधिकरण ने एक राष्ट्रीय जीन निधि की स्थापना की है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. कृषकों, कृषकों के समूह, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण समुदाय से, विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैव-विविधता के क्षेत्र (हॉट-स्पॉट) जो आर्थिक महत्व के पौधों और उनके वन्य संबन्धियों के सरंक्षण, सुधार और परिरक्षण में सलंग्न हैं, को मदद और पुरस्कार प्रदान करना।
2. स्थानीय निकाय स्तर पर बर्हि-स्थान सरंक्षण हेतु क्षमता विकास विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैव-विविधता के क्षेत्र (हॉट-स्पॉट) और स्व-स्थान सरंक्षण में मदद हेतु।
3. कृषक/ कृषकों के समुदाय को देय क्षतिपूर्ति और लाभ में भागीदारी के द्वारा अदा की गई कोई भी राशि।
4. जीन निधि के संचालन हेतु परिचालन व्यय।

उल्लिखित तथ्यों से पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण एवं इसके अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण के द्वारा कृषकों को दिये गए अधिकारों तथा हितों के संरक्षण से संबन्धित आवश्यक जानकारी मिलती है, जिसे ध्यान में रख कर कृषक समुदाय संबन्धित प्रावधानों द्वारा अपने हितों की रक्षा कर उनका समुचित लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त जानकारी प्राधिकरण की शासकीय वेबसाइट http://plantauthority.gov.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।

## 2. बागवानी के परिप्रेक्ष्य में बौद्दिक सम्पदा अधिकार का महत्व

भारत में, बागवानी कृषि की सबसे विशिष्ट उप-क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की भूमिका कृषि विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत के विकास दर लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। बागवानी में बौद्दिक सम्पदा संरक्षण पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, संयंत्र विविधता संरक्षण, और व्यापार के रूप में हो सकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार विभिन्न प्रकार के सुरक्षाएँ उपलब्ध करता है जिनमे किस्मों, फसल के नाम, जीन, प्रजनन प्रक्रियाओं, और इस तरह के संयंत्र पेटेंट, उपयोगिता पेटेंट, संयंत्र प्रजनकों अधिकार, ट्रेडमार्क, और अन्य कानूनी पदनाम के रूप में संरक्षण सहित कई अन्य आविष्कार भी शामिल है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार द्वारा दिये गए संरक्षण से आविष्कारकर्ता की अनुमति के बिना उसके आविष्कार उपयोग कानूनी रूप से प्रतिबंधित होता है जिसके फलस्वरूप आविष्कारकर्ता रॉयल्टी द्वारा एकत्रित धन का उपयोग नए आविष्कारों को करने में कर सकता है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा संबंधी नियमों में किए जाने वाले विधायी परिवर्तनों का सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने एवं बागवानी नवाचारों को गरीबों तक पहुंचाने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है; अत: इन अधिकारों के बारें में जानकारी आवश्यक है।

**पादप प्रजनक अधिकार**

अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ अधिनियम (1991) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा के लिए किसी पादप किस्म को निम्नलिखित शर्तें पूरा करना आवश्यक है: (i) नवीनता, (ii) विशिष्टता, (iii) समरूपता एवं स्थायित्व (डी.यू.एस. लक्षण)। इन शर्तो के बारे में विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में दिया गया है।

**पादप प्रजनक अधिकार द्वारा सुरक्षा का दायरा**

अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ अधिनियम (1991) के अंतर्गत सुरक्षित किस्मों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुरक्षा होती है।

1. सुरक्षित किस्म के सभी भागों (उत्पादों) का वाणिज्यिक उद्देश्य से उत्पादन तथा उनका विपणन या विक्रय पादप प्रजनक अधिकार धारक का एकाधिकार होता है।
2. किसान को यह सुविधा दी जा सकती है, कि वे अपने उत्पाद के एक भाग को अपने खेतों में बुवाई के लिये बीज के रूप में उपयोग करे। ऐसा करने के लिये उसे पादप प्रजनक अधिकार धारक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन यह विशेषाधिकार (कृषक विशेषाधिकार) अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ अधिनियम (1991) में प्रदत्त नहीं है, और यह सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों पर आश्रित है।
3. किसानों का आपस में सुरक्षित किस्मों के बीजों या प्रवधयों का आदान प्रादान वर्जित है।
4. सुरक्षा की अवधि कम से कम 20 वर्ष है। कुछ सदस्य देशों में यह अवधि 30 वर्ष (फ्रांस में मक्का के अंतःप्रजातों के लिए) तक भी है।

5. सुरक्षित किस्मों को वैज्ञानिक शोध एवं प्रजनन के लिए मुक्त रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह छूट अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के लिए नहीं है। जब किसी किस्म के एक या कुछ जीनों में परिवर्तन (उत्परिवर्तन अथवा किसी अन्य विधि द्वारा) कर नई किस्म का विकास किया जाता है, तो नई किस्म का जनक किस्म से अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म कहा जा सकता है।

**प्रजनक छूट**

पादप प्रजनक अधिकार सुरक्षा पद्दतियों में साधारणतया प्रजनकों को यह छूट दी जाती है, कि वे किसी भी सुरक्षित किस्म (यहाँ इसे हम आरंभिक किस्म कहेंगे) का प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग कर सकते है, इसके लिए उन्हें आरंभिक किस्म के पादप प्रजनक अधिकार धारक को कोई भी किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। इस प्रकार के प्रावधान को प्रजनक छूट कहते है अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म पर यह छूट लागू थी। लेकिन अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ (1991) में प्रजनक छूट का दायरा सीमित कर दिया गया है: आरंभिक किस्म से अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों को यह छूट नहीं प्राप्त है, ऐसी किस्में अब आरंभिक की पादप प्रजनक अधिकार सुरक्षा के दायरे में आती है। जब कोई किस्म मूलरूप से आरंभिक किस्म से व्युत्पन्न होती है, जिससे नई किस्म में आरंभिक किस्म के जीनप्ररूप या जीनप्ररूपों के सयोजनों की अभिव्यक्ति से उत्पन्न अभिलक्षण नई किस्म में यथावत बने रहते है, तो नई किस्म को अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी किस्म में उत्परिवर्तन या प्रतीप संकरण द्वारा एक जीन का स्थानांतरण करके जो नई किस्म विकसित कि जाएगी, उसे अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म कहा जाएगा। लेकिन संकर किस्म के जनक अंतःप्रजात/ लाइनों को भी पादप प्रजनक अधिकार सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः उनका प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

**पादप प्रजनक अधिकार**

पादप प्रजनक अधिकार किसी फसल की किस्म के प्रजनक, उद्गमकर्ता या मालिक को सरकार द्वारा इस किस्म के संदर्भ में दिये जाते है। इन अधिकारों के दवारा सम्बंधित किस्म का प्रजनक/ मालिक/ उद्गमकर्ता/ अन्य किसी भी व्यक्ति पर उस किस्म के प्रवध्यों के उत्पादन अथवा वाणिज्यिकरण पर रोक लगा सकता है। पादप प्रजनक अधिकार से सुरक्षा की अवधि 15-20 वर्ष होती है। किसी किस्म का पादप प्रजनक अधिकार धारक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उस किस्म के प्रवध्यों के उत्पादन/ विपणन हेतु अधिकार दे सकता है। किसी किस्म के पादप प्रजनक अधिकार धारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह पादप प्रजनक अधिकार के स्थानांतरण अथवा उस किस्म के प्रवधयों के बिक्री के लिए उचित शर्त/ कीमत रखेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो लोकहित में सरकार उस किस्म के प्रवध्यों के उत्पादन/ विपणन का लाईसेन्स किसी संस्था को दे सकती है, इसे अनिवार्य अनुज्ञप्ति कहा जाता है।

पादप प्रजनक अधिकार द्वारा पादप किस्मों की सुरक्षा होती है। लेकिन इन किस्मों के उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले पादप विभेदों तथा प्रजनन विधियों/ प्रक्रियाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है। पादप प्रजनक अधिकार पद्दतियों में किसी-न-किसी रूप में प्रजनक छूट का प्रावधान होता है।

**भारत में पादप प्रजनक अधिकार की आवश्यकता**

विकसित देशों में पादप प्रजनक अधिकार पद्दतियों के विकास के पीछे निम्नलिखित मुख्य विचार थे।

1. पादप किस्म का विकास एक नवीन सुधार या आविष्कार जैसा ही है। अतः पादप किस्मों को बौद्दिक सम्पदा माना जाना चाहिए, और उन्हें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
2. आर्थिक लाभ मिलने से प्रजनकों को उत्साहवर्धन होता है।
3. इससे निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पादप प्रजनन कार्यक्रमों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित होती है।

आरंभ में पादप किस्मों को पेटेंट करने का प्रस्ताव था। लेकिन यूरोप आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों से इस विचार को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया।

1. औद्योगिक पेटेंट निर्जीव पदार्थों पर लागू होते है।
2. पादप किस्में पूर्ण रूप से स्थायित्वपूर्ण नहीं होते है।
3. पौधों की किस्मों/ विभेदों आदि का सही एवं संपूर्ण वर्णन असंभव है।
4. पादप किस्मों के प्रजनन की पुनरावृति करना बहुत कठिन होता है।
5. पादप किस्मों द्वारा आविष्कारिता की शर्त पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनमें पूर्ववर्ती जीनों/ विकल्पियों के नए संयोजन ही होते है, न की कोई नया जीन होता है। पेटेंट के लिए आविष्कारिता एक आवश्यक शर्त है।

भारत में कृषि की स्थिति विकसित देशों में कृषि की स्थिति से निम्नलिखित दो प्रमुख बातों में भिन्न है।

- पादप प्रजनन मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है।
- निजी क्षेत्र का पादप प्रजनन में योगदान सीमित है, यद्दपि इसमें क्रमशः वृद्दि हो रही है।

ऐसा तर्क भी दिया गया है कि भारत देश कि स्थिति अभी पादप प्रजनक अधिकार सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये तर्क कृत्रिम है एवं मानने योग्य नहीं है। कई अन्य वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि एशियाई देशों को अपनी विशिष्ट पादप प्रजनक अधिकार पद्दति विकसित करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए:

1. कृषक समुदायों के हितों कि सुरक्षा, जैसे मुक्त-परागित किस्मों जैसी अनौपचारिक किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान।
2. अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों की अवधारणा को असुरक्षित (पादप प्रजनक अधिकार, सुरक्षा से रहित) किस्मों पर भी लागू करना।

किसी भी दशा में, वाणिज्य सम्बंधित बौद्दिक सम्पदा अधिकार के प्रावधानों के तहत भारत के सामने केवल निम्नलिखित तीन विकल्प हैं।

1. अंतरराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ 1991, को लागू करना।
2. पादप किस्मों के लिए पेटेंट लागू करना।
3. अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ (1991) या पेटेंट के समकक्ष सुरक्षा देने वाली अपनी स्वयं की पादप प्रजनक अधिकार पद्दति विकसित करना।

अपनी स्वयं की पादप प्रजनक अधिकार प्रणाली को ही स्व-निर्मित (sui generic) पादप प्रजनक अधिकार कहा जाता है। भारत ने स्वयं की पादप प्रजनक अधिकार पद्दति विकसित करने का फैसला किया है, इस पद्द्ति के मूलतः अंतराष्ट्रीय नवीन पादप किस्म सुरक्षा संघ 1978 पर आधारित होने की प्रत्याशा है। इस पद्दति में निम्नलिखित प्रावधानों के शामिल होने की संभावना है ।

1. कृषक अधिकार
2. शोधकर्ता द्वारा उपयोग का अधिकार
3. सुरक्षा की अवधि 15 वर्ष (वार्षिक फसलें) एवं 18 वर्ष (फल वृक्ष एवं लताएँ)
4. जीन बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना।
5. अनिवार्य प्रमाणीकरण।
6. अनिवार्य अनुज्ञाप्ति।
7. प्रजनक, कृषक एवं शोधकर्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना।

इसके साथ ही पादप प्रजनक अधिकार कानून में निम्नलिखित प्रावधानों के शामिल करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

1. मुक्त-परागित किस्मों जैसी अनौपचारिक किस्मों को सुरक्षा प्रदान करना।
2. अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों की अवधारणा को असुरक्षित किस्मों पर भी लागू करना।
3. सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस्मों के जनकों की घोषणा अनिवार्य करना।

भारत ने वर्ष 2001 में पादप किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम लागू किया।

**भारत एवं वाणिज्य संबन्धित बौद्दिक सम्पदा अधिकार**

भारत वाणिज्य सम्बंधित बौद्दिक सम्पदा अधिकार के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अतः 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरूद्द शिकायत की। विश्व व्यापार संगठन ने निर्णय दिया कि भारत ने वाणिज्य सम्बंधित बौद्दिक सम्पदा अधिकार के निम्नलिखित प्रावधानों को लागू नहीं किया।

1. 'मेल बॉक्स' प्रावधान।
2. एकनिष्ठ विपणन अधिकार का प्रावधान।

भारत ने 1 अप्रैल 1999 से उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने का वचन दिया है। भारत ने पेटेंट कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, भारतीय पेटेंट (संशोधन) बिल (1999) लोकसभा एवं राज्य सभा दोनों ही द्वारा पारित किया जा चुका है। और अब यह अधिनियम के रूप में लागू भी हो चुका है।

**भारत पेटेंट अधिनियम 2002**

वाणिज्य संबधित बौद्दिक सम्पदा अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित बाधाओं को पार करने हेतु भारत में द्वितीय पेटेंट सुधार कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) के अनुसार आविष्कार की परिभाषांतर्गत नये उत्पादन की नई प्रक्रिया जो कि आविष्कारक चरण और उद्योग में लागू हो सके, आते हैं। परंतु भाग 3 के अनुसार पौधे/ जीव-जन्तु/ पशु सम्पूर्ण रूप से या कोई भी अंग सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त लेकिन बीज प्रजाति तथा स्पैसीज और आवश्यक जैविक प्रक्रियाएँ जहाँ पौधों/ जीव-जन्तु/ पशुओं के उत्पादन या संवर्धन आविष्कार की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं है। पेटेंट (द्वितीय

सुधार) अधिनियम 2002 के द्वारा 'पौधों' को पेटेंट के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट में शामिल वस्तुओं की श्रेणी में रखकर पौधों का पेटेंटीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पेटेंट की अवधि को पेटेंट फाइल करने की तिथि से 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की अवधि के लिए किया गया।

भारत सरकार द्वारा पेटेंट (सुधार) अध्यादेश 2004 में पारित किया जिसके अन्तर्गत उत्पाद का भी पेटेंट किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत दवाई तथा फार्मेसीटिकल्स उत्पादों के अतिरिक्त कृषि रसायन, खाद्य पदार्थ तथा जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद सम्मिलित है।

**बौद्दिक सम्पदा अधिकार पद्द्ति एव भारतीय अनुक्रिया**

भारतीय परम्पराओं एवं संस्कृति का आधारभूत सिद्दांत है, व्यक्ति के मूल्य पर समाज का कल्याण। किन्तु आई.पी.आर. पद्द्ति इस सिद्धांत के एकदम विपरीत होती है। अत: आई.पी.आर. परिदृश्य से अधिकांश भारतीय तकनीकी, वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद चकित रह गए हैं, और इस परिदृश्य में अपने को असहज महसूस कर रहे है। लेकिन धीरे धीरे आई.पी.आर. के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस जागरूकता को और तेजी से लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए।

1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी को निम्नलिखित की प्रशिक्षण दी जानी चाहिए, पेटेंटों में किए गए दावों का पढ़ना, उनकी व्याख्या करना आदि। इससे ये लोग निम्नलिखित कार्यो में सहायक हो सकेंगे।
   - विश्वस्तर के पेटेंट आवेदन तैयार करना।
   - पेटेंट आवेदेनों की प्रतीरक्षा करना।
   - पेटेंट आवेदेनों के विरोध/ पेटेंटों को निरस्त करने के आवेदन तैयार करना।
   - आई.पी.आर. के उल्लंघन की पहचान करना।
   - सुस्पष्ट एवं उपयोगी उद्देश्यों वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना।
   - वाणिज्यिक घरानों से सहयोग स्थापित करना (आई.पी.आर. के वाणिज्यिक उपयोग के लिए)
   - संस्थानों में तकनीकी हस्तांतरण एवं जनसंपर्क कार्यालयों के संचालन/ प्रबंधन में योगदान।
   - आई.पी.आर. पोर्टफोलियो की प्राथमिकता-इनसे आर्थिक लाभ का मूल्यांकन करना।
2. पेटेंटों पर अंतराष्ट्रीय डेटाबेस की उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे सम्बन्धित लोग उनकी तकनीकी विषयवस्तु, वैधानिक स्थिति आदि जान सकें।
3. सूचना वैज्ञानिकों को ऐसे प्रशिक्षित करना, जिससे समय से तथा उचित लागत पर पेटेंटों के बारे में सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध करा सके।
4. अपने राष्ट्रीय संसाधनों के डेटाबेस बनाए जाने चाहिए। परम्परागत ज्ञान पर आधारित आविष्कारों के समुचित उपयोग के लिए यह अनिवार्य है।
5. पेटेंटों के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट बाज़ार का विकास किया जाना चाहिए।
6. तकनीकी व्यक्तियों को औपचारिक पेटेंट एटॉर्नी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. आई.पी.आर. में विशेषज्ञ इकाइयों को एक दूसरे से प्रभावी संपर्क स्थापित करना चाहिए।
8. भारत में दिये जाने वाले पेटेंट आवेदेनों एवं जारी होने वाले पेटेंटों के बारे में ऑनलाइन एवं तत्कालीन जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

9. अनुसंधान एवं विकास की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जानकारी के लिए पेटेंट सूचनाओं एवं मानव संसाधनों के डेटाबेस बनाए जाने चाहिए।
10. आई.पी.आर. पोर्टफोलियो का दक्ष एवं प्रभावशाली प्रबंधन होना चाहिए।
11. शिक्षा संस्थाओं में बौद्दिक सम्पदा अधिकारों पर पाठयक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
12. भारतीय पेटेंट कार्यालय का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। भारत सरकार इस दिशा में पहले से ही क्रियाशील है।
13. आईपीओ को देश में आई.पी.आर. एवं तकनीकी/ व्यापार के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
14. सभी सम्बंधित संस्थाओं/ संस्थानों को अपने कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करने चाहिए, जिससे आई.पी.आर. से अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके।
15. अनुसंधान कार्यक्रमों, काम करने की संस्कृति एवं वातावरण आदि में अधिकतम इस दृष्टि से पूरी तरह परिवर्तन किए जाएँ जिससे कि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च से अधिकतम लाभ अर्जित हो सके।
16. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक, राजनैतिक, न्यायिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यशैली एवं कार्य संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन जरूरी होंगे।

# 3. भारतीय बौद्दिक सम्पदा अधिकार के परिप्रेक्ष्य में पौधा किस्मों से सम्बंधित कानून

कालांतर में विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत की एक सहमति हुई जिसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार के सम्बंधित मुद्दों के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप पौध प्रभेदों पर बौद्दिक सम्पदा अधिकार प्रदान करना भारत के लिए एक बाध्यता बन गयी। इसके अंतर्गत बौद्दिक सृजनों को विधि मान्य मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाते है। ऐसा अधिकार आर्थिक लाभ के लिए सृजकों को अपने सृजनों के व्यावसायिक विस्तार के लिए दिया जाता है। यह अधिकार नियत अवधि के लिए एवं अस्थायी होता है तथा बिक्री एवं लाइसेंस के द्वारा हस्तांतरित भी किया जा सकता है। नियत अवधि की समाप्ति के बाद यह जन सम्पदा बन जाती है।

पौधो की प्रजातियों से सम्बंधित बौद्दिक सम्पदा अधिकार के द्वारा उनके प्रजनकों को विधि मान्य मालिकाना हक प्रदान किए जाते हैं, जिसे कि वे उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन कर सकें। इस प्रकार का मालिकाना हक इस साक्ष्य पर निरूपित किया जाता है कि सम्बंधित प्रजाति के विकास एवं संरक्षण में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह/ समुदाय का योगदान रहा है। इस अधिकार को पौधा प्रजनक अधिकार (पी.बी.आर.) के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह अधिकार सिर्फ उसी देश में लागू होता है जहाँ के लिए वह बना है। इसे लाइसेंसीकृत किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या उत्तराधिकार में भी दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के नाम किसी पौधा प्रजाति के प्रति पौधा प्रजनक अधिकार को स्थापित करने के लिए इसका निबंधन किया जाता है।

**पौधा प्रजाति एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम**

हमारे देश में, पौधा किस्मों का संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 को लागू पौधा किस्मों और पौधा उगाने वालों के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली कि स्थापना करने और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय में पौधों की किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रवृत करने के लिए और पौधों की नई किस्मों के विकास को संवर्धित करने के उपाय एवं कृषकों और पौधा उगाने वालों के अधिकार संरक्षण करने के लिए किया है। इस जानकारी को प्राप्त कर किसान अपनी पौधा प्रजातियों को संरक्षित कर निबंधन करा सकते हैं तथा उसकी खेती, बीज प्रगुणन, वितरण एवं बिक्री पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं तथा इतना ही नहीं व्यावसायिक पौधा प्रजनको द्वारा किसानों की प्रजातियों के आनुवांशिकीय गुणों का व्यवहार कर अगर किसी उन्नत प्रभेद के विकास हेतु किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले लाभ में भी वे अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत पौध प्रभेदों के सरंक्षण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जीन (अनुवंश) कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के माध्यम से व्यक्तियों एवं समुदायों को पौध प्रभेदों के सरंक्षण हेतु प्रोत्साहित करने एवं लाभ में हिस्सेदारी तथा विवाद की स्थिति में सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

**पंजीयन हेतु अधिनियम के मुख्य प्रावधान**

किसी किस्म के पंजीकरण के लिए पंजीयक के पास आवेदन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है:

- कोई व्यक्ति जो किस्म को उगाने वाला समझा जाता है, या
- किस्म उगाने उगाने वाले का दावा करने वाले का कोई उत्तराधिकारी, या
- कोई व्यक्ति जो किस्म को उगाने वाले का ऐसे आवेदन करने के अधिकार के संबंध में आवंटित है, या
- कोई किसान या किसानों का समूह या किसानों का समुदाय जो किस्म को उगाने वाले का दावा करता है, या
- कोई व्यक्ति जो निर्धारित तरीके से उपुर्यक्त व्यक्ति की और से आवेदन करने के लिए प्राधिकृत हो, या
- कोई विश्वविद्यालय या सार्वजनिक रूप से निधियन की जाने वाली संस्था जो किस्म उपजाने वाला होने का दावा करती है।

अधिनियम के अनुसार शब्द 'किस्म' का अर्थ है सूक्ष्म अवयव को छोड़कर एक ही वनस्पति वर्ग के निचली कोटि का पौध समूह, जिसको-

(i) दिये गए प्रकार की जाति के पौध समूह के परिणामस्वरूप व्यक्ति विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है

(ii) जो कम से कम किसी एक उक्त विशेषता की अभिव्यक्ति द्वारा किसी अन्य पौध समूह से अलग पहचाना जाता है और

(iii) प्रजनन के लिए इसकी उपयुक्तता के संबंध में एक अनोखा (unique) माना जाता है। जो इस प्रकार के प्रजनन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है, ये किस्म, वर्तमान किस्म, परिवर्तित जाति की किस्म, कृषक किस्म और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म ये सारे 'किस्म' शब्द में शामिल होती है।

केन्द्र सरकार ने पौधा किस्मों की रजिस्ट्री भी स्थापित की है जो प्राधिकरण के मुख्यालय में स्थित होगी। प्राधिकरण को पौधा किस्म महापंजीयक और पौधा किस्मों के पंजीकरण के प्रयोजन के अन्य पंजीयकों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है।

नई किस्म का पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत तभी संभव है जब वह (डी.यू.एस.) नवीनता, विशिष्टता, समरूपता और स्थिरता के मानदंडो के अनुरूप है। जबकि वर्तमान किस्म पंजीकरण इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर हो सकती है यदि वह विशिष्टता, समरूपता, और स्थिरता के ऐसे मानदंडों के अनुरूप होगी जैसा की विनिमय के तहत विर्निदिष्ट है। पौध फसल की नई किस्म तब मानी जाएगी जब वह नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता के मानकों पर खरा उतरती हो जैसा कि 'अध्याय 1' में इंगित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत नई किस्म का पंजीकरण कई कारणों से नहीं हो पाता है, जैसे कि यदि वह:

- ऐसी किस्म को अभिचिन्हांकित करने में सक्षम नहीं है, या

- केवल इसमें आँकड़े ही है, या
- ऐसी किस्म के उत्पादक की पहचान की ऐसी किस्म के लिए विशेषता, मूल्य पहचान के संबंध में गुमराह करने या दुविधा उत्पन्न करने वाला हो, या
- या ऐसे प्रत्येक वर्ग से भिन्न नहीं है जो इसी वनस्पति गत जाति की किस्म विर्निदिष्ट करती है, या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रजातियों से बहुत मिलती जुलती हो, या
- यह संभवत: जनता को धोखा दे सकता है ऐसी किस्म की पहचान के संबंध में जनता को दुविधा में डाल सकता है, या
- जो भारत के किसी वर्ग या तबके के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं कों आहत पहुँचाने वाला हो, या
- जो प्रतीक ओर नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम 1950, में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए नाम या प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए प्रतिसिद्द हो, या
- जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भौगोलिक नाम मात्र हो।

**पंजीकरण हेतु आवेदन**

- किस्म के संबंध में होगा।
- आवेदक द्वारा ऐसी किस्म के लिए विर्निदिष्ट वर्ग का उल्लेख करेगा।
- इसके साथ आवेदक द्वारा शपथ पत्र होगा, कि इस किस्म के अंतर्गत किसी जीन या जीन क्रम नहीं है जिसमें सीमाबद्द करने वाली प्रौद्योगिकी शामिल हो।
- विनिमयन द्वारा विर्निदिष्ट स्वरूप में होना चाहिए।
- जिस स्थान से आनुवांशिक सामग्री ली गयी है भारत में उस भौगोलिक स्थान के साथ पूर्ण जनकीय लाइन का पासपोर्ट डाटा जहाँ से किस्म व्युत्पन्न की गयी है, एवं ऐसी सभी सूचनाएँ जो योगदान से सम्बंधित है, यदि कोई हो तथा कृषक, ग्राम समुदाय संस्था या संगठन का उत्पादन में, किस्म को विकसित या उत्पन्न करने में किसी प्रकार का योगदान के डाटा का उल्लेख होना चाहिए।
- जैसा कि पंजीकरण के लिए अपेक्षित है किस्म की नवीनता की विशेषता, भिन्नता, समरूपता और स्थायित्व को परिलक्षित करने वाले, किस्म की संक्षिप्त विवरण के साथ दिया जाना चाहिए।
- इसके साथ निर्धारित शुल्क भी भेजना चाहिए।
- ऐसी घोषणा सन्निहित होगी जिसमे किस्म उगाने या उत्पन्न करने या किस्म विकसित करने के लिए प्राप्त आनुवांशिक सामग्री या जनकीय सामग्री कानूनी रूप से प्राप्त की गयी है, तथा साथ ही,
- यथा निर्धारित विवरण इसके साथ होना चाहिए।

प्रत्येक आवेदक, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के आवेदन के साथ उस किस्म को जिसका पंजीकरण होना है, उस मात्रा में उपलब्ध कराएगा, जिससे की जनकीय सामग्री के साथ उस किस्म के बीज का मूल्यांकन हेतु परीक्षण किया जा सके ताकि यह जाना जाए की विनिमय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकों के साथ यह समरूप है। प्रत्येक उल्लेखित परीक्षण करने हेतु यथा निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

कोई भी व्यक्ति पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण के लिए आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन माह के भीतर पंजीकरण में अपने विरोध के लिए पंजीयक को निर्धारित तरीके से लिखित रूप में सूचना दे सकता है। किसी भी कारण से विरोध प्रकट किया जा सकता है।

**अधिनियम में निहित कृषक अधिकार**

पौधा प्रजाति एवं कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम में किसानों के निम्न प्रमुख अधिकारों की बात की गई है, जो निम्नलिखित हैं:

**बीज पर किसानों का अधिकार**

यह अधिकार किसानों द्वारा कृषक के उदभव से चला आ रहा पारम्परिक अधिकार है। इसके अंतर्गत किसानों के उस पारम्परिक अधिकार को मजबूती प्रदान की गयी है, जिससे वे अपनी फसल से प्राप्त बीज को बचा कर उसका उपयोग अगली फसल की बुवाई के लिए, दूसरे किसानों से अदला-बदली के लिए, हिस्सेदारी के लिए या बेचने के लिए कर सकते है। इस अधिकार का मूलभूत आधार है किसानों द्वारा पौधा प्रजातियों के सरंक्षण की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थान एवं समय के परिपेक्ष में किसी पारम्परिक या आधुनिक प्रभेद में आयी कुल आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता। इसी आधार पर पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित सभी प्रकार के बीजों पर किसानों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। परंतु कुछ सुरक्षित प्रभेदों के बीजों को इसके निबंधित नाम का टैग लगाकर बेचने के अधिकार से किसानों को वंचित रखा गया है। साथ ही साथ निबंधित प्रेभेदों पर अधिकार कि रक्षा हेतु टर्मिनेटर जीन तकनीकी के व्यवहार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

**पारम्परिक प्रेभेदों के निबंधन का कृषक अधिकार**

इसके अंतर्गत किसानों को उनके द्वारा सरंक्षित या विकसित पारम्परिक प्रजातियों के निबंधन का अधिकार पौधा प्रजनक अधिकार (पी.बी.आर.) के तहत दिये गए हैं। इसके माध्यम से सम्बंधित प्रभेदों के उत्पादन एवं विपणन का पूर्ण वैधानिक मालिकाना हक किसानों को रहेगा। यह अधिकार किसानों को यह सिद्द करने पर दिया जाता है कि सम्बंधित प्रभेद के प्रजनन में उनका योगदान रहा है इस प्रकार के निबंधन में लिंग समानता के आधार पर महिलाओं के नाम को भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।

किसानों को निबंधन के लिए या उसके नवीनीकरण के लिए किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत व्यापारिक प्रजनकों एवं सरकारी अनुसंधान संस्थानों को निबंधन एवं उसके नवीनीकरण के लिए रू.5000/- से रू.10,000/- का शुल्क जमा करना पड़ता है। किसानों का यह अधिकार भारत में अपने ढंग का एक अनूठा अधिकार है, क्योंकि अन्य बहुत सारे देशों में यह अधिकार सिर्फ व्यावसायिक प्रजनकों को ही प्राप्त है।

**पुरस्कार एवं सम्मान का कृषक अधिकार**

फसलों की विभिन्न प्रजातियों के सरंक्षण, संवर्धन एवं विकास में किसी एक किसान या ग्रामीण/ आदिवासी समुदाय द्वारा किए गए योगदान के एवज में उन्हें पुरष्कृत एवं सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंश कोष की स्थापना की गयी है। यह प्रमाणित करने पर कि अमुक पारम्परिक प्रभेद या किसी फसल की जंगली प्रजाति के सरंक्षण में उनका योगदान रहा है, राष्ट्रीय आनुवंश कोष सबंधित

व्यक्ति या समुदाय को पुरस्कृत एवं सम्मानित करेगा। ऐसा प्रावधान पौधा प्रजातियों के सरंक्षण के उद्देश्य से किया गया है।

**लाभ में हिस्सेदारी का कृषक अधिकार**

जैसा कि सर्वविदित है, नवीन प्रभेदों के विकास में पारम्परिक या कृषक प्रभेदों का योगदान रहा है। अगर किसी नवीन प्रभेद, जिसकी माँग अधिक है तथा पी.बी.आर. अधिनियम के तहत जिसके उत्पादन एवं विपणन का अधिकार किसी व्यावसायिक प्रजनक के नाम है, कोई किसान या समुदाय यह प्रमाणित करता है कि उस प्रभेद के विकास में उनके किसी पारम्परिक प्रभेद का प्रयोग किया गया है, तो उसके लाभ में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। किसानों के इस अधिकार के आलोक में अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि नए प्रभेदों के निबंधन में यह खुलासा किया जाए कि इनके विकास में तीन पैतृक प्रजातियों का व्यवहार किया गया है, उनका श्रोत क्या है। इसके साथ ही किसानों को यह अवसर प्रदान किया गया है कि अगर उनके किसी प्रभेद का व्यवहार हुआ है, तो वे लाभ में हिस्सेदारी के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। इस प्रकार का दावा प्राधिकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के छः महीने के अन्दर किया जा सकता है। दावा मिलने के बाद प्राधिकार द्वारा यह तय किया जायेगा कि दावेदार हक पाने के योग्य है या नहीं और अगर योग्य है तो लाभ में उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी तय हो जाने की स्थिति में नवीन प्रभेद के पी.बी.आर. धारक को तय राशि राष्ट्रीय आनुवंश कोष में जमा करना होगा जिसे कोष द्वारा सम्बंधित दावेदारों के बीच वितरित किया जाएगा।

**निबंधित नवीन प्रभेदों के व्यवहार से किसानों को हुई क्षति के लिए मुआवज़ा पाने का अधिकार**

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम (2001) में पौधा प्रजातियों के निबंधन का मूल उद्देश्य यह है, कि उनके प्रजनकों को प्रभेदों के व्यवसाय का अनन्य अधिकार। किसी फसल प्रभेद की व्यावसायिक माँग निर्भर करती है उसके शस्य गुणों के सफल प्रदर्शन पर, जैसे उपज क्षमता, रोग व्याधि रोधी क्षमता, आदि। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बीज कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए अपने बीजों के शस्य गुणों को बढ़ा-चढाकर बताते है। ऐसी स्थिति में किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इस प्रकार की क्षति के लिए अधिनियम में किसानों को सम्बंधित कम्पनी/ प्रजनक से मुआवजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। अत: बीज विक्रेताओं को सम्बंधित प्रभेद के शस्य गुणों का खुलासा करना होगा कि अमुक कृषि परिस्थिति में कितनी उपज होगी, आदि। किसानों द्वारा संदर्भित कृषि परिस्थिति में खेती करने पर अगर दावा किए गए शस्य गुण खरे नहीं उतरते है, तो उस प्रभेद के पी.बी.आर. धारक को आंकलित मुआवजा देना होगा। इस प्रकार के मुआवजे के लिए किसानों को अपना दावा पीपीवी एवं एफआर प्राधिकार के पास विहित प्रपत्र में करना होगा तथा यह सिद्द करना पड़ेगा कि अनुशासित कृषि परिस्थिति में तथा अनुशासित विधियों/ तकनीकों के प्रयोग के बावजूद सम्बंधित बीज के प्रयोग से पूर्व दावा के मुताबिक लाभ नहीं हुआ और अमुक राशि की अनुमानित क्षति हुई। चूंकि पीपीवी एवं एफआर अधिनियम इस मामले में पूर्ण स्पष्ट नहीं है, अत: एक व्यक्ति की जगह किसानों के समूह या समुदाय द्वारा इस प्रकार का दावा सिद्द करना आसान हो सकता है ।

**आधुनिक प्रभेदों के विकास में पारम्परिक प्रभेदों के गुप्त व्यवहार के एवज में क्षतिपूर्ति का कृषक अधिकार**

किसानों के अधिकार में यह बतलाया गया है कि नवीन प्रभेद का प्रजनक अगर यह खुलासा करता है कि उस प्रभेद के विकास में अमुक पैतृक प्रभेदों का व्यवहार किया गया है तो उस परिस्थिति में किसान आसानी से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। मगर गुप्त रूप से अगर कोई व्यावसायिक प्रजनक किसानों के पारम्परिक प्रभेद का व्यवहार पैतृक पदार्थ के रूप में करता है, तब किसानों को अपना दावा पेश करने में कठिनाई होगी। ऐसी परिस्थिति में कोई तीसरा पक्ष जो कि कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कोई सरकारी, गैर सरकारी या निजी संगठन, उस किसान या किसानों के समुदाय की ओर से क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। पीपीवी एवं एफआर प्राधिकार ऐसे दावे की जाँच कर क्षतिपूर्ति की राशि तय कर सम्बंधित प्रजनक को यह निर्देश देगा कि उस राशि को राष्ट्रीय अनुवंश कोष में जमा कर दे जो बाद में कोष द्वारा दावा पेश करने वाले पक्ष को दे दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि तीसरे पक्ष की भूमिका अदा करने वालो के पास पौध-प्रजनन विज्ञान में पेशागत दक्षता हो।

**निबंधित प्रभेदों के बीज का कृषक अधिकार**

किसानों के अधिकारों से सम्बंधित इस अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि निबंधित विभिन्न प्रभेदों के बीज या पौधा सामग्री किसानों को उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके, जिससे कि कृषि का तीव्र विकास हो। इस अधिनियम के तहत व्यावसायिक पौधा प्रजनकों को एक तरफ जहाँ उस प्रभेद के उत्पादन एवं विपणन का पूर्ण अधिकार दिया गया है, वही उन्हे यह जिम्मेवारी भी सौंपी गयी है कि उसके बीज या पौधा सामग्री को किसानों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराएं। निबंधन के तीन वर्षो के बाद अगर सम्बंधित प्रजनक किसानों को उचित कीमत पर बीज उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तो किसानों को अधिकार है कि वे इसकी शिकायत पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को करें। शिकायत की जाँच करने पर अगर यह बात सत्यापित होती है तो प्राधिकरण उस प्रभेद के उत्पादन व विपणन का अधिकार उससे वापस लेकर किसी तीसरे पक्ष को दे सकता है, जिससे कि वापस लेकर सम्बंधित प्रभेद का बीज या पौधा सामग्री किसानों को सही कीमत पर आसानी से सुलभ हो सके।

**मुफ्त सेवा प्राप्त करने हेतु कृषक अधिकार**

इस अधिनियम के तहत किसानों को अपने पारम्परिक प्रभेदों के निबंधन, उसके नवीनीकरण, उसके आंकलन, आदि के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का दावा या प्रतिवाद, आदि के लिए भी उन्हे सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखा गया है।

**निष्कपट उल्लंघन से बचाव हेतु कृषक अधिकार**

इस अधिनियम के अंतर्गत नियम-कानून के उल्लंघन के लिए उपयुक्त सजा या जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में आई.पी.आर. की आवश्यकता और बढ़ गयी है तथा बौधिक सम्पदा के अधिकार सरंक्षण के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसके प्रति हम सभी को समय-समय पर इससे सम्बंधित नई जानकारी प्राप्त कर जागरूक रहना चाहिए।

# 4. कृषक अधिकार तथा डी.यू.एस. परीक्षण

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी आधे से ज्यादा आबादी अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। खाधान्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश आत्ममनिर्भर है तथा हम विश्व के प्रमुख खाधान्न उत्पादक देशों में एक है। इस आत्मनिर्भरता के पीछे हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके द्वारा हमारे देश में उन्नत एवं अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का प्रवेशन हुआ। एक तरफ हरित क्रांति के द्वारा हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की वहीं दूसरी तरफ नई उन्नत किस्मों के खेती में ज्यादा से ज्यादा उगाए जाने के कारण, सीमांत किसानो द्वारा उगाए जाने वाली जंगली प्रजातियां, किसानों की किस्में तथा स्थानीय प्रजातियों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप ऐसी प्रजातियों को वृहद रूप से क्षति हुई, तथा जैव विविधता को भी नुकसान हुआ है। जैव विविधता का सरंक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि विशिष्ट लक्षण के किस्मों का विकास, फसल सुधार तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव विविधता आवश्यक है।

आनुवांशिक विविधता के ह्रास को रोकने तथा कृषि में सतत बढ़ोतरी बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए है, जिनमे "पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण" अधिनियम-2001 एक एतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम को वर्ष 2001 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था।

इस अधिनियम के कई दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलते है, जिनमे बीज उद्योगों का फलना-फूलना, तथा किसानों को उच्च गुणवता के बीज उपलब्ध कराना प्रमुख है। साथ ही, इस अधिनियम के कार्यान्वयन से कृषि विकास को अपेक्षित गति मिलेगी तथा निजी पादप प्रजनन में उच्च अनुसंधान एवं विकास में निवेश के माध्यम से नवीन पौधा किस्मों के सृजन हेतु पादप प्रजनकों के हितों को भी सुरक्षा प्रदान हो सकेगी। उदाहरणस्वरूप, देश के गुजरात प्रांत के कच्छ क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगे हुए खजूर के वृक्ष-ताल हैं, जिनमे पर्याप्त जैव-विविधता हैं, जिनसे पौधे चयनित कर फसल सुधार करने की काफी संभावनाएं है। इसके अतिरिक्त, किसानों के खेतों पर भी अच्छी फल गुणवत्ता वाले बीजू पौधे है जिनका चयन कर संग्रहण व संरक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी उन्नत क़िस्मों के व्यावसायिक उपयोग होने की अवस्था में, संबंधित चयन व संरक्षण करने वाले कृषकों को भी चयनित/ विकसित प्रजातियों से होने वाले वाले लाभ में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अत: उल्लेखित अधिनियम के माध्यम से नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों को बचाने, उनमे सुधार लाने और उन्हे उपलब्ध कराने में किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, किसानों तथा उनके समुदाय को अपने बीजों या पौधा सामग्री को रखने, इस्तेमाल करने, बदलने, हिस्सेदारी करने तथा बेचने का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत पादप प्रजनक एवं कृषकों द्वारा विकसित किस्मों के पंजीकृत कराने की भी व्यवस्था है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, एवं विकसित प्रजाति के विपणन से होने वाले संभावित लाभ में उनकी साझेदारी सुनिश्चित की जा सके। इसी अधिनियम की अनुपलना हेतु, पौधा किस्म, प्रजनकों एवं कृषकों के

अधिकार सरंक्षण के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण" का गठन किया गया है।

इसके लिए संबंधित किस्म, जिसका पंजीकरण किया जाना है, की जांच कुछ मानकों के आधार पर की जाती है एवं उन्हीं संबंधित किस्मों को ही स्वीकार किया जाता है जो विशिष्ट (distinct), एकरूप (uniform) एवं स्थाई (stable), जिसे संक्षेप में डी.यू.एस. परीक्षण कहते है पर खरी उतरती हो। जाँच अथवा डी.यू.एस परीक्षण मुख्यत: पादप प्रजनकों को अधिकार दिलाने लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा वृद्दिशील परीक्षणों अथवा प्राधिकरण की ओर से कार्य करते हुए सार्वजनिक अनुसंधान संस्था जैसे पृथक संस्थानों द्वारा या कुछ मामलों में प्रजनकों द्वारा किए गए वृद्दिशील परीक्षणों पर आधारित होता है।

इस परीक्षण के मापदण्ड, एक अनुभवी कार्यदल जिसमें विशेषज्ञ एवं कुशल परामर्शदाता होते है एवं जो कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित होता है, के द्वारा सुनिश्चित किए जाते है।

प्रजनकों, बीज तथा पौधा उद्योग के अनुभव एवं ज्ञान को ध्यान में रखते हुए तथा गहन परामर्श एवं वार्ताओं के उपरांत उक्त सामान्य दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया जाता है। विभिन्न फसल किस्मों के संबंधित गुणों (जैसे पौधे की ऊँचाई, आकृति, बाह्य आकार, पत्ती का आकार, फलों एवं फूलों की आकृति, आकार एवं रंग तथा अन्य विशिष्ट गुण जिनके द्वारा संबंधित किस्म परीक्षण के मानदंडों को पूरा करती है) का उपयोग करते हुए, परीक्षण द्वारा संबंधित प्रजाति का विवरण (डेटाबेस) तैयार करते है तथा इसी आधार पर विकसित किस्म का पंजीकरण करते है। कृषक अपने द्वारा विकसित किस्मों का पंजीकरण के लिए प्रपत्र भरकर सीधे प्राधिकरण में आवेदन कर सकते है।

इसके अतिरिक्त, आवेदक को उम्मीदवार किस्म की डी.यू.एस. परीक्षण के संचालन के लिए, प्राधिकरण द्वारा विभिन्न फसलों के लिए, निर्धारित परीक्षण शुल्क जमा करना होगा। इन फसलों को भारतीय पौधा किस्म जरनल (the Plant Variety Journal of India) में अधिसूचित किया गया है जो कि निम्नवत हैं:

| **फल** | **सब्जी** | **अलंकृत पौधे** | **बागान फसलें** | **मसाले** | **औषधीय एवं सगंधीय पौधे** |
|---|---|---|---|---|---|
| आम | मटर | गुलदाऊदी | छोटी इलायची | हल्दी | ब्राह्मी |
| बादाम | राजमा | गुलाब | काली मिर्च | अदरक | इसबगोल |
| सेब | भिंडी | दमस्क गुलाब | नारियल | धनिया | मेन्थॉल |
| खुबानी | टमाटर | आर्किड्स | चाय | मेथी | टक्सोल |
| बेर | बैंगन | बोगनविलिया | कॉफी | जायफल | सदाबहार |
| चेरी | पत्ता गोभी | ग्लैडिओलस | कोको | | कालमेघ |
| अंगूर | फूल गोभी | वैजयंती | | | नीम |
| नाशपाती | प्याज व लहसुन | करनेशन | | | |
| अनार | करेला | जरबेरा | | | |

| | | |
|---|---|---|
| अखरोट | लौकी | केना |
| नींबू | खीरा | |
| नारंगी व संतरा | कद्दू | |
| खजूर | तोरई | |
| केला | तरबूज व | |
| अंगूर | खरबूजा | |
| बेल | गाजर व मूली | |
| जामुन | ग्वार फली | |
| अमरुद | सेम फली | |
| लीची | चवला फली | |
| कटहल | आलू | |
| इमली | शकरकन्द | |
| शहतूत | सूरन | |
| अखरोट | परवल | |
| | सहजन | |
| | पेठा | |
| | कुंदरू | |

कुछ प्रमुख फसलों के लिए अधिसूचित डी.यू.एस. परीक्षण शुल्क इस प्रकार है:

| **बागवानी फसल** | **डी.यू.एस. परीक्षण शुल्क** |
|---|---|
| **फल** | |
| बेल, जामुन, सीताफल, | 10000 |
| केला, नींबू, नारंगी, पपीता, मौसम्बी, आंवला, अमरूद, लीची, शहतूत,चिरोंजी, इमली, | 20000 |
| आम, सुपारी, काजू, खजूर | 30000 |
| स्ट्रॉबेरी | 45000 |
| बादाम, सेब, खुबानी, चेरी, अंगूर, बेर, जपानीज़ आलूबुखारा, आड़ू, नाशपाती, अनार, अखरोट, | 50000 |
| **सब्जी** | |
| जिमीकंद, बकला फली, शकरकंद, कसावा (युका) | - |
| मटर, सब्जी वाली चौलाई, चकुन्दर, गाजर, अजमोदा, | 20000 |
| धारीदार तोरई, मूली, तरबूज, सहजन, ग्वार फली, | 30000 |
| बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन, खरबूजा, भिंडी, प्याज, टमाटर, | 40000 |
| मिर्ची, शिमला मिर्च | 45000 |
| आलू | 48000 |
| करेला, लौकी, खीरा, कद्दू, | 50000 |

| | |
|---|---|
| **अलंकृत पौधे** | |
| गेंदा | - |
| बोगनविलिया, केना, चाइना एस्टर, ग्लैडिओलस, चमेली, रजनी गंधा, करनेशन | 20000 |
| गुलदाऊदी, दमस्क गुलाब, गुलाब, | 45000 |
| जरबेरा | 50000 |
| **बागान फसलें** | |
| नारियल, चाय | 20000 |
| कॉफी | 30000 |
| काली मिर्च, छोटी इलायची | 45000 |
| कोको | 50000 |
| **मसाले** | |
| जायफल | 10000 |
| अजवाईन | 20000 |
| जीरा, सौंफ | 40000 |
| अदरक, हल्दी | 45000 |
| धनिया, मेथी | 50000 |
| **औषधीय एवं सगंधीय पौधे** | |
| कालमेघ | 10000 |
| ब्राह्मी, इसबगोल, मेन्थॉल मिंट, नीम | 20000 |

बागवानी फसलों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों एवं परीक्षण शुल्क संबंधित व्यापक दस्तावेजों को "पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण" की आधिकारिक वेबसाइट www.plantauthority.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में डी.यू.एस. परीक्षण से जुड़े सभी पहलुओं से संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देशकों को भी उपलब्ध कराया गया है।

# 5. बागवानी फसल किस्मों का डी.यू.एस. परीक्षण हेतु समूहीकरण

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर में फलीय एवं सब्जी फसलों उदाहरण स्वरूप बेर, खरबूजा और तरबूज में डी.यू.एस. परीक्षण के मापदण्डों को विकसित किया गया है, जिनके उपयोग से डी.यू.एस. परीक्षण के लिए प्रत्याशी किस्मों को समूहों में बांटा जाएगा ताकि विशिष्टता के मूल्यांकन में सुविधा हो। वे गुण जो अनुभव से ज्ञात होने पर भिन्न नहीं होते हैं या एक किस्म में बहुत थोड़े से भिन्न होते हैं और जो अपनी विभिन्न अवस्थाओं में संकलन में सभी किस्मों में पर्याप्त समान रूप से वितरित होते हैं, समूहीकरण की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं।

बेर में 36 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 07 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। बेर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिएः

**तालिका 1. बेर में समूह लक्षण**

| लक्षण | अवस्था | उदाहरण किस्में |
|---|---|---|
| बढ़वार स्वभाव | सीधा | तिकड़ी |
| | अर्ध-सीधा | छुहारा |
| | फैलावदार | गोला |
| पत्ती : आकृति | ओवेट | सफेदा रोहतक |
| | अंडाकार | गोला |
| | हृदयाकार | कैथली |
| | प्रतिअंडाकार | किसमिस |
| फल परिपक्व का समूह | अगेती | गोला |
| | मध्यम | सेब |
| | पछेती | मेहरून |
| परिपक्व फलः आकृति | लंबा | मैहरून |
| | अंडाकार | छुहारा |
| | ओवेट | ज़ैड जी-3 |
| | चपटा | इलायची |
| | गोल | गोला |
| | अर्धचंद्रकार | नरमा |
| परिपक्व फल: रंग | पीला | गोला |
| | हल्का हरा-पीला | ज़ैड जी-3 |
| | चॉकलेटी भूरा | तिकड़ी |

| | | |
|---|---|---|
| गूदे का गठन | मुलायम | छुहारा |
| | मध्यम | ज़ैडजी-3 |
| | सख्त | उमरान |
| गुठली की आकृति | लंबी | सेब |
| | गोल | गोला |
| | तकुआकार | सानौर-5 |
| | मुगदराकार | छुहारा |
| | अर्धचंद्रकार | छुहारा बावल |

तरबूज में 27 लक्षणों व खरबूजा में 34 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 08 और 06 गुणों को क्रमश: तरबूज व खरबूजा के समूहीकरण के लिए उपयोग मे लिया जाना चाहिए। किस्मों की विशिष्टता के निर्धारण के लिए परिणामों के आधार पर समूह लक्षणों की पहचान की गई। तरबूज तथा खरबूजा के विशिष्टता, एकरूपता व स्थिरता (डी॰यू॰एस॰) मापदंडों का विकास किया गया। किस्मों की विशिष्टता के निर्धारण के लिए समूह लक्षणों की पहचान की गई, जो कि निम्नवत हैं:

**तालिका 2. तरबूज में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|
| पत्ती फलक: फलक की प्रारम्भिक अवस्था | निर्बल | दुर्गापुरा लाल |
| | मध्यम | शुगर बेबी |
| | सबल | थार माणक |
| फल: लम्बवत अनुभाग में आकृति | चौरस ग्लोब | शुगर बेबी |
| | बेलनाकार | चार्लेस्टन ग्रे |
| | लम्बा ग्लोब | असाही यामेटो, अर्का मानिक |
| फल: छिलके का रंग | पीला | काशी पीताम्बर |
| | हल्का हरा | असाही यामेटो, चार्लेस्टन ग्रे |
| | मध्यम हरा | दुर्गापुरा केसर |
| | गहरा हरा | शुगर बेबी |
| फल: धारियाँ | निर्बल | असाही यामेटो, चार्लेस्टन ग्रे, शुगर बेबी |
| | विसरित | अर्का मानिक |
| | स्पष्ट रूप से परिभाषित | थार माणक |
| फल: परिमाण (किग्रा) | छोटा (3) | शुगर बेबी |
| | मध्यम (3-6) | अर्का मानिक, दुर्गापुरा लाल |
| | बड़ा (>6) | - |
| फल: गूदे का रंग | पीला | दुर्गापुरा केसर |

| | | |
|---|---|---|
| | गहरा लाल | शुगर बेबी, असाही यामेटो |
| प्रति फल बीजों की संख्या | अनुपस्थित या अल्प-विकसित (<20) | - |
| | कम (<150) | - |
| | मध्यम (150-350) | चार्लेस्टन ग्रे, शुगर बेबी |
| | अधिक (>350) | दुर्गापुरा केसर |
| बीज: परत का रंग | सफ़ेद | दुर्गापुरा केसर |
| | धूसर | एएचडब्लू-19, असाही यामेटो |
| | भूरा | दुर्गापुरा लाल |
| | काला | शुगर बेबी |

**तालिका 3. खरबूजा में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|
| लिंग अभिव्यक्ति (पूर्ण पुष्पन के समय) | द्विलिंगाश्रयी | - |
| | अंत: द्विलिंगाश्रयी | काशी मधु, पूसा मधुरस, हरा मधु, दुर्गापुरा मधु |
| | अन्य | - |
| फल: लम्बवत अनुभाग में आकृति | चौरस ग्लोब | एमएचवाई-3 |
| | बेलनाकार | अर्का राजहंस |
| | लम्बा ग्लोब | जीएमएम-3, काशी मधु |
| | प्रतिअंडाकार | दुर्गापुरा मधु |
| फल: छिलके का रंग | पीला | काशी मधु |
| | हरा पीला | दुर्गापुरा मधु |
| | नारंगी | अर्का जीत |
| फल: सुचर | अनुपस्थित | अर्का जीत, एमएचवाई-3 |
| | उपस्थित | हरा मधु, काशी मधु |
| फल: सतह पर जाली | अनुपस्थित | अर्का जीत, एमएचवाई-5 |
| | मध्यम | आरएम-50, पंजाब सुनहरी |
| | घना | - |
| फल: गूदे का रंग | क्रीमी सफेद | अर्का जीत |
| | भूरा नारंगी | जीएमएम-3 |
| | पीला हरा | दुर्गापुरा मधु |
| | हरा | हरा मधु |
| | नारंगी | काशी मधु |

खजूर में 22 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 15 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 4. खजूर में समूह लक्षण**

| लक्षण | अवस्था | उदाहरण किस्में |
|---|---|---|
| पत्रक की लम्बाई (से. मी.) | छोटी (23-30) | खद्रावी |
| | मझोली (31-40) | सबिया, सायर |
| | लम्बी (41-50) | हलावी, ज़ाहिदी, शमरन, सेवी |
| पत्रक के मोड़ का कोण (º) | संकरा (30º-50º) | खद्रावी, शमरन, दयारी |
| | मध्यम (51º-70º) | हलावी, जाहिदी, सेवी, खुनेज़ी |
| | चौड़ा (71º-90º) | सबीहा, खलास |
| मुख्य नाड़ी पर कंटकों की संख्या | कम (<10) | सेवी, खुनेज़ी, दयारी |
| | मध्यित (10-15) | मेडजूल, जाहिदी, शमरन |
| | पर्याप्त (>15) | ब्रेम, खसाब |
| कंटक की लम्बाई (से. मी.) | छोटी (<7) | हलावी, खद्रावी, शमरन |
| | मझोली (8-11) | जाहिदी, ब्रेम, मेडजूल |
| | लम्बी (12-15) | सेवी, खलास |
| | बहुत लम्बी (>15) | खुनेज़ी, अब्दुल रेहमान |
| कंटक स कंटक के बीच की दूरी (से. मी.) | संकरी (<6) | चिप-चाप, मेडजूल, सेवी |
| | मध्यम (3-6) | हलावी, जाहिदी, ब्रेम, सेवी |
| | चौड़ी (>6) | शमरन, खुनेज़ी, खलास |
| सहपत्र की लम्बाई (से. मी.) | छोटी (<25) | खद्रावी, ब्रेम, मेदिनी |
| | मझोली (25-35) | हलावी, सेवी, शमरन,सबीहा |
| | लम्बी (<35) | सेवी, खुनेज़ी, सबीहा |
| प्रति गुच्छा लड़ियों की संख्या | कम (<15) | हलावी, मेदिनी, जाहिदी |
| | सीमित (15-30) | खुनेज़ी, मेडजूल, शमरन |
| | उच्च (>30) | सेवी, खलास, खद्रावी |
| प्रति लड़ी खजूरों की संख्या | कम (<15) | सिवी, सेद्दामी, मस्कट, मेदिनी, खलास |
| | सीमित (15-25) | हलावी, खुनेज़ी, मेडजूल |
| | उच्च (>25) | शमरन, ज़ाहिदी |
| फल का रंग (डोका अवस्था पर) | पीला (13 A,B) | हलावी, सेद्दामी, ब्रेम, ज़ाहिदी, खलास |
| | लाल (40 A,B) | दयारी, खसाब, मेदिनी |

| | | |
|---|---|---|
| | गहरा लाल (45 A,B,C) | खुनेज़ी, सबीहा |
| फल की लम्बाई (से. मी.) डोका अवस्था पर | छोटा (<3) | सेद्दामी, अब्दुल रेहमान, सबीहा, ज़ाहिदी, सूर्या |
| | मझोला (3-4) | हलावी, खुनेज़ी, शमरन, ब्रेम |
| | लम्बा (>4) | सेवी, मेडजूल |
| फल की चौड़ाई (से. मी.) डोका अवस्था पर | संकरा (<2) | हलावी, शमरन |
| | मध्यम (2-3) | खुनेज़ी, ज़ाहिदी, खलास |
| | बड़ा (>3) | मेडजूल, खद्रावी, सेवी |
| गुठली की लम्बाई (से. मी.) डोका अवस्था पर | छोटी (<2.0) | खुनेज़ी, ज़ाहिदी |
| | मझोली (2-2.5) | मेडजूल, हलावी, खद्रावी |
| | लम्बी (<2.5) | शमरन, खलास, मस्कट, हमारा |
| गुठली का व्यास (मि. मी.) डोका अवस्था पर | संकरा (<8) | अलावी, खुनीज़ी, शमरन |
| | मध्यम (8-10) | दयारी, सेवी |
| | बड़ा (>10) | हमारा, खलास, ब्रेम |
| गुठली का खांचा (डोका अवस्था पर) | उथला | खुनेज़ी, चिप-चाप |
| | मध्यम | शामरान, ज़ाहिदी, खलास |
| | गहरा | हलावी, सेद्दामी |
| गुदा : गुठली अनुपात (भारानुसार) डोका अवस्था पर | कम (<0.75) | हलावी, सेवी, दयारी |
| | मध्यम (0.75-1.25) | शामरान, खलास |
| | उच्च (>1.25) | खुनीज़ी, खद्रावी |

आंवला में 26 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 6 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 5. आंवला में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|
| बढ़वार स्वभाव | सीधा | एनए-6, चकैया, आनंद-1,आनंद-2 |
| | फैलावदार | नरेन्द्र आँवला-10,एनए-7, फ्रांसिस, गोमा ऐश्वर्या |
| | लटका हुआ | बनारसी, कृष्णा, कंचन |
| पत्ती का आकार | दीर्घ वृत्ताकार | नरेंद्र आंवला-7 |
| | लंबाकार | चकैया, बनारसी, नरेंद्र आंवला-10, आनंद-1, आनंद-2 |
| | अंडाकार | फ्रांसिस, कंचन, नरेंद्र आँवला-6, गोमा ऐश्वर्या |

| | | |
|---|---|---|
| पुष्पक्रम का रंग | गहरा गुलाबी (47C) | कृष्णा, बनारसी, नरेंद्र आंवला-10, एनए -7 |
| | गुलाबी हरा(149 ए) | एनए-6, चकैया, आनंद-2, आनंद-1, |
| | गुलाबी हरा(147ए) | फ्रांसिस, गोमा ऐश्वर्या, कंचन |
| फल का आकार | चपटा गोल | चकैया, फ्रांसिस, कंचन, नरेंद्र आंवला-10, गोमा ऐश्वर्या |
| | गोल | नरेंद्र आंवला-6 |
| | त्रिकोणीय | कृष्ण, बनारसी |
| | अंडाकार | नरेंद्रआंवला-7, आनंद-1, आनंद2 |
| फल का रंग | हरा(146ए) | आनंद-1, आनंद-2, बनारसी |
| | पीला हरा (144ए) | नरेंद्रआंवला-7 |
| | हल्का हरा(145ए) | नरेंद्र आंवला-6, कृष्णा, फ्रांसिस, चकैया, नरेंद्र आंवला-10 |
| गुठली की आकृति | त्रिकोणीय | कृष्णा, बानरा |
| | गोल | कंचन, आनंद-1, आनंद-2 |
| | अंडाकारगोल | एनए-7, बनारसी |
| | अंडाकार | एनए-6, फ्रांसिस, एनए-10 |

जामुन में 26 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 5 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 6. जामुन में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|
| वृद्धि की आदत | सीधा | सीआईएसएच जे-42 |
| | अर्ध-सीधा | कोंकण बहडोली, थार क्रांति, गोकक-3 |
| | फेलावदार | गोमा प्रियंका, जामवंत, गोकक-1, गोकक-2 |
| पत्ती की लंबाई: चौड़ाई अनुपात | कम (<2.0) | सीआईएसएच जे-42, कोंकण बहडोली, गोकक-1 |
| | उच्च (>2.0) | गोमा प्रियंका, जामवंत, गोकक-1, गोकक-2, गोकक-3 |
| फल परिपक्वता समूह | अगेती | थार क्रांति, जामवंत |

| | | |
|---|---|---|
| | मध्यम | गोमा प्रियंका, सीआईएसएच जे-42 |
| | पछेती | कोंकण बहडोली |
| परिपक्व फल रंग | बैंगनी लाल | सीआईएसएच जे-42, जामवंत |
| | गहरा बैंगनी | थार क्रांति, गोमा प्रियंका, गोकक-2, गोकक-3 |
| | बैंगनी काला | गोकक-1 |
| परिपक्व फल का आकार | लंबाकार | थार क्रांति, गोमा प्रियंका |
| | दीर्घवृतीय | गोकक-1, गोकक-2, गोकक-3 |
| | अंडाकार | सीआईएसएच जे-42, जामवंत |

बेल में 40 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 7 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 7. बेल में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|---|
| बढ़वार स्वभाव | | लटका हुआ | पंत अपर्णा, पंत शिवानी |
| | | फैलावदर | पंत उर्वशी, एनबी-9, एनबी-16 |
| | | अर्ध-फैलाव | सीआईएसएचबी-2, पंत सुजाता, एनबी-5, एनबी-7, गोमा यशी |
| | | सीधा | सीआईएसएचबी-1, एनबी-17 |
| पत्ती का आकार | केंद्रीय पत्रक | मोटे तौर पर भाले के आकार से अंडाकार | सीआईएसएचबी-1 |
| | | अंडाकार | पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत शिवानी, एनबी-17, सीआईएसएचबी-2 |
| | | अंडाकार से दीर्घ वृत्ताकार | एनबी-5 |
| | पार्श्व पत्रक | अंडाकार | सीआईएसएचबी-1,सीआईएसएचबी-2,पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत शिवानी, एनबी-9,एनबी-10 |
| | | दीर्घ वृत्ताकार | एनबी-5, |

| | | |
|---|---|---|
| | भाले के आकार | गोमा यशी |
| छाल विभाजन पैटर्न | आयताकार | एनबी-5, एनबी-17 |
| | बेलनाकार | सीआईएसएचबी-1,पंत शिवानी, सीआईएसएचबी-2,पंत उर्वशी |
| | अनियमित | पंत अपर्णा, एनबी-16, एनबी-9, पंत सुजाता, एनबी-7 |
| पुष्पक्रम प्रकार | एक्सिलरी बाइपेरस सिमे | पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, सीआईएसएचबी-1,सीआईएसएचबी-2,एनबी-7 |
| | एक्सिलरी मल्टीपेरस सिमे | पंत सुजाता, नायब-17, गोमा यशी |
| | टर्मिनली बाइपेरस सिमे | पंत शिवानी |
| | टर्मिनली मल्टीपेरस सिमे | एनबी-16, एनबी-5 |
| | एक्सिलरी यूनिपेरस | एनबी-9 |
| फल की परिपक्वता | जल्दी (फल लगने के 280 दिन बाद)) | सीआईएसएचबी-1,पंत शिवानी, गोमा यशी |
| | मध्य (फल लगने के 310 दिन बाद) | पंत सुजाता, पंत उर्वशी, एनबी-9, पंत अपर्णा |
| | देर से (फल लगने के 340 दिन बाद) | सीआईएसएचबी-2, एनबी-5, एनबी-7 |
| फल का आकार | गोलाकार | गोमा यशी, पंत शिवानी, पंत उर्वशी |
| | अंडाकार | सीआईएसएचबी-1, एनबी-9, |
| | दीर्घ वृत्ताकार | सीआईएसएचबी-2, एनबी-7, पंत उर्वशी |
| | गोल | पंत अपर्णा, एनबी-16, पंत सुजाता |

| | | |
|---|---|---|
| गूदे का रंग | हल्के पीले | एनबी-5, एनबी-7, एनबी-16, सीआईएसएचबी-2 |
| | पीला | पंत शिवानी, पंत सुजाता, पंत अपर्णा, गोमा यशी, एनबी-17 |
| | गहरा पीला | सीआईएसएचबी-1, एनबी-9, पंत उर्वशी, |

ईमली में 13 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 6 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 8. ईमली में समूह लक्षण**

| **लक्षण** | **अवस्था** | **उदाहरण किस्में** |
|---|---|---|
| बढ़वार स्वभाव | सीधा | प्रतिष्ठान |
| | अर्ध-सीधा | पीकेएम-1, टी-263 |
| | फैलावदार | अजंता, उरीगाम |
| परिपक्व फली का आकार | मुड़ा हुआ | गोमा प्रतीक, उरिगम, प्रतिष्ठान |
| | सीधा | टी-263, पीकेएम-1, अजंता |
| परिपक्व फली की लंबाई | छोटा (<10.0 सेमी) | प्रतिष्ठान |
| | मध्यम (10.0 से 15.0 सेमी) | पीकेएम-1, टी-263, अजंता |
| | लंबा (>15.0 सेमी) | गोमा प्रतीक |
| परिपक्व फल के गूदे का रंग | भूरा | टी-263, पीकेएम-1, अजंता, उरीगाम |
| | लालिमायुक्त भूरा | गोमा प्रतीक |
| गूदा में टीएसएस परिपक्व अवस्था में | कम (<60 °ब्रिक्स) | पीकेएम-1 |
| | मध्यम (60-70 °ब्रिक्स) | टी-263, प्रतिष्ठान |
| | उच्च (>70 0 °ब्रिक्स) | गोमा प्रतीक |
| पकने की अवधि | जल्दी (255 दिन) | प्रतिष्ठान, गोमा प्रतीक |
| | मध्यम (270 दिन) | टी-263, उरीगाम, अजंता |
| | देर (280 दिन) | पीकेएम-1 |

चिरौंजी में 16 लक्षणों की पहचान की गई, जिनमे से 4 गुणों को समूहीकरण के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। खजूर की किस्मों के समूहीकरण के लिए निम्नलिखित गुणों का उपयोग किया जाना चाहिए:

**तालिका 9. चिरौंजी में समूह लक्षण**

| लक्षण | अवस्था | उदाहरण किस्में |
|---|---|---|
| बढ़वार स्वभाव | सीधा | सी.एच.ई.एस.सी-3 |
| | अर्ध-फैलावदार | थार प्रिया, सी.एच.ई.एस.सी-2 |
| | फैलावदार | सी.एच.ई.एस.सी-10, सी.एच.ई.एस.सी-9 |
| पत्ती का घनत्व | विरल | थार प्रिया, सी.एच.ई.एस.सी-8 |
| | सघन | सी.एच.ई.एस.सी-1, सी.एच.ई.एस.सी-2 |
| पत्ती का शीर्षबिंदु | नुकीला | सी.एच.ई.एस.सी-2 |
| | गोल | थार प्रिया |
| | कुंठित | सी.एच.ई.एस.सी-1 |
| पत्ती का आधार | कुंठित | थार प्रिया |
| | गोल | सी.एच.ई.एस.सी-1 |
| | नुकीला | सी.एच.ई.एस.सी-2 |

# 6. कृषक किस्म का पंजीयन

पौधा किस्मों के पंजीयन के बारे में प्राधिकरण द्वारा स्थापित मानक प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है:

**सा. का. नि. 115 (अ).** केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उपधारा 2 का खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:
   (i) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2003 है।
   (ii) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में:
   (i) नियम के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात:

"25क" **कृषक किस्म के पंजीयन के लिए आवेदन प्ररूप:** कृषक किस्म के पंजीयन के लिए आवेदन प्ररूप छठी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा।

**"छठी अनुसूची"**

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के पंजीयन के लिए आवेदन**

[धारा 18 की उपधारा (1) देखिए]

(आवेदक के लिए अनुदेश: जहाँ कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहाँ कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिन्ह लगाएं तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/ टंकित उत्तर दें।)

1. आवेदकों की पहचान:

| | | |
|---|---|---|
| कृषक | : | ..... |
| कृषक का समुदाय | : | ..... |
| कृषक का समूह | : | ..... |

टिपण्णी: पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अंतर्विष्ट कृषकों या कृषकों का समुदाय या कृषकों का समूह द्वारा कृषकों की किस्म के लिए आवेदन या संबद्द पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या जिला कृषि अधिकारी या संबद्द राज्य कृषि विश्वविद्यालय या जिला जनजाति विकास अधिकारी द्वारा उपाबंध-1 में पृष्ठांकन के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

2. आवेदक (आवेदकों) का/ के नाम

[यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें]

| | | |
|---|---|---|
| 1. क्रम संख्या | : | |
| 2. नाम | : | |
| 3. पूरा पता | : | |
| 4. राष्ट्रीयता | : | |

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबधित पत्र भेजे जाने है (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप पीवी-1 में प्राधिकार सलंग्न करें)

| | | |
|---|---|---|
| नाम | : | |
| पता | : | |
| पिन | : | |
| दूरभाष | : | |
| फैक्स | : | |
| ई-मेल | : | |

4. किस्म की साधारण जानकारी :

| | | |
|---|---|---|
| क. फसल का सामान्य नाम | : | |
| ख. वानस्पतिक नाम | : | |
| ग. कुल | : | |
| घ. अभिधान (बड़े अक्षरों में) | | |

टिप्पणी: वानस्पतिक नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है।

5. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण:

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

टिपण्णी: प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों से व्यावृत प्रपर्धों करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ: जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी हैं।)

6. कृषक/ कृषकों के नाम और पते जिसने/ जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है।

| | | |
|---|---|---|
| नाम | : | |
| पता | : | |
| दूरभाष | : | |
| फैक्स | : | |
| ई-मेल | : | |
| राष्ट्रीयता | : | |

टिपण्णी: एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी प्रपत्र में सभी नामों का (ii),(iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं। यदि कृषकों के समूह द्वारा किस्म विकसित और बनाई रखी जाती है तो उपाबंध-1 में पृष्ठांकित होगी।

7. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है।

हाँ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित बताएं:

| | | |
|---|---|---|
| किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख | : | |
| यह देश जहाँ सरंक्षण किया गया है (यदि कोई हो) | : | |
| प्रथम फाइल करने के बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता | : | (अलग से पन्ना लगाएं) |
| प्रयुक्त अभिधान | : | |
| प्रयुक्त व्यापार चिन्ह, यदि कोई हो | : | |

मैं/ हम ..... घोषित करता हूँ/ करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवांशिक सामग्री या मूल सामग्री विविपूर्वक अर्जित की गयी है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन के साथ निम्नलिखित सलंग्नक (सभ्यक रूप से हस्ताक्षरित ओर मुहर सहित) प्रस्तुत है: (ध्यान दीजिए कि जहाँ कहीं हस्ताक्षर आवेदन या सलंग्नक में किए गए हैं वहाँ ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे):

(क) पूरा आवेदन:

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध-1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ-1 के अनुसार)

**उपाबंध-1**

पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के पंजीयन के लिए आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक/ कृषक समूह/ कृषक समुदाय का/ के नाम

| क्रम सं. | उपनाम सहित नाम/ समूह का नाम/ समुदाय का नाम | स्थायी पता |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

2. किस्म का अभिधान: .....

3क. (व्याष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूँ कि मैं ..... राज्य के ..... जिसमें ..... स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव ..... में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूँ और यह कि मैं और मेरा परिवार ..... वानस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ..... प्रकार के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारम्भिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत सरंक्षक हैं।

3ख. (आवेदक कृषकों के समूह/ समुदाय को लागू)

हम घोषित करते हैं कि हम ..... राज्य के ..... जिले में ..... स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत आने वाले ..... गाँव में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वानस्पतिक प्रजाति के प्रकार (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारम्भिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत सरंक्षक हैं। हम अपने समूह/ समुदाय की ओर से श्री ..... पुत्र श्री ..... (नाम) को जो हमारे समूह/ समुदाय का सदस्य है और ..... (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का पंजीयन करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर :
कृषक का नाम :
समूह/ समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति :
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक/ कृषक समूह/ कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गाँव के स्थायी निवासी हैं, प्रजनित/ विकसित और निरंतर सरंक्षित है तथा केवल उसी की खेती की जाती है और मैं आवेदक कृषक/ कृषक समूह/ कृषक समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए )

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर :
कृषक का नाम : .....
(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/ सचिव)
अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी
(पदीय स्टाम्प सहित)

उपरोक्त प्रपत्र के अतिरिक्त आवेदक को पंजीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा करना होता है। विभिन्न किस्मों के लिए पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **किस्म का प्रकार** | **पंजीकरण शुल्क** | |
|---|---|---|---|
| 1 | अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में | व्यक्तिगत | 7,000/-रू. |
| | | शैक्षणिक | 10,000/-रू. |
| | | वाणिज्यिक | 50,000/-रू. |
| 2 | बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म | 2,000/-रू. | |
| 3 | विद्यमान किस्मों से अन्यथा जेनरा और स्पीशीज की किसी किस्म और अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (क) में यथानिर्दिष्ट किसानों की किस्मों के पंजीकरण के लिए फीस | व्यक्तिगत | 7,000/-रू. |
| | | शैक्षणिक | 10,000/-रू. |
| | | वाणिज्यिक | 50,000/-रू. |
| 4 | सामान्य ज्ञान की विद्यमान किस्म | व्यक्तिगत | 7,000/-रू. |
| | | शैक्षणिक | 10,000/-रू. |
| | | वाणिज्यिक | 5,0000/-रू. |
| 5 | कृषक किस्म | कोई शुल्क नहीं | |

**वार्षिक शुल्क**

पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण में केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के प्रत्येक प्रजनक/ ऐजेंट और लाईसेंसी द्वारा अदा किए जाने वाले वार्षिक शुल्क को अधिसूचित किया है:

| **क्र.सं.** | **किस्म का प्रकार** | **पंजीकरण शुल्क** |
|---|---|---|
| 1 | नई किस्म | 2000/-रू. तथा पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य का 0.2 प्रतिशत या रॉयल्टी का 1.0 प्रतिशत, यदि कोई हो जो पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया हो। |
| 2 | बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म | 2000/-रू. मात्र |
| 3 | ऊपर बताई गयी श्रेणी के अतिरिक्त अन्य विद्यमान किस्म | 2000/-रू. तथा पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य का 0.1 प्रतिशत, या रॉयल्टी का 0.5 प्रतिशत, यदि कोई हो जो पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया हो। |
| 4 | कृषक किस्म | 10/-रू. |

वार्षिक शुल्क का निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य के संबंध में पंजीकृत प्रजनक या एजेंट या लाईसेंसी द्वारा उस घोषणा के आधार पर किया जाएगा जिसमें प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किस्म के बीजों की पिछले वर्ष हुई बिक्री को सत्यापित किया गया हो।

## 7. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पुरस्कार

यह स्थापित सत्य है कि भारतीय किसान जैव विविधता सरंक्षण कार्य से आदिकाल से जुड़े हैं जो देश की विविध प्रकार की मृदाओं, भौगोलिक परिस्थितियों, मौसमों, धार्मिक कर्म-काण्डों तथा सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़ी रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उच्च उपजशील, ताप-सहिष्णु, अगेती पकने वाली और श्रेष्ठ गुणवता से युक्त नई पादप किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान संगठनों के साथ अपनी सामग्री की साझेदारी भी की है।

वर्तमान में अनुसंधान संगठनों तथा निजी बीज कंपनियों को आपूर्ति की जाने वाली सरंक्षित पादप/ कृषि जैव-विविधता से देश में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आई है। तथापि, विडंबना यह है कि इस प्रकार से एकत्र की गई सम्पदा से पादप/ कृषि जैव-विविधता के वास्तविक सरंक्षकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को सदैव पर्याप्त लाभ नहीं पहुँच पाया है। यदि आर्थिक दबावों के चलते यही स्थिति बनी रही तो किसान/ समुदाय पादप/ कृषि जैव-विविधता का सरंक्षण करने एवं उसकी आपूर्ति करने के अपने प्रयासों को त्याग भी सकते हैं।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों के अनुसार 'नई पौधा किस्मों के लिए विकास में उपलब्ध पादप आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, उसमें सुधार तथा उसकी उपलब्धता के लिए किए गए योगदानों के संदर्भ में कृषकों के अधिकारों को पहचानना व उनकी रक्षा करना आवश्यक माना गया है।'

इस उद्देश्य के आधार पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण नियमावली की धारा 70 (2) में अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए जीन निधि उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसे परिभाषित किया गया है।

जीन निधि निम्न प्राथमिकताओं के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क) ऐसे कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर जनजाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता पहुँचाना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से कृषि जैव-विविधता वाले विशेष स्थलों/ हॉट-स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए है।

(ख) विशेषकर, स्वःस्थाने सरंक्षण में सहायता के लिए कृषि जैव विविधता के विशेष स्थलों या हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में स्थानीय निकाय की बर्हि-स्थाने सरंक्षण पर क्षमता निर्माण के लिए।

इस प्रकार, अधिनियम और नियमों द्वारा जीन निधि से कृषकों/ कृषक समुदायों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने की एक क्रियाविधि उपलब्ध हुई। राष्ट्रीय जीन निधि की स्थापना से संबंधित अधिसूचना भारतीय पौधा किस्म जरनल के खंड 1, अंक 3 में अधिसूचित की गई है। कृषि जैव-विविधता संबंधी हॉट-स्पॉट्स का विस्तृत विश्लेषण प्राधिकरण द्वारा गठित एक कार्यबल द्वारा किया गया तथा इस कार्यदल की रिपोर्ट 02 खंडों में प्रकाशित पुस्तक के रूप में उपलब्ध है जिसका प्रकाशन

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण ने किया है। प्राधिकरण ने कृषि जैव विविधता के सरंक्षकों और उनकी सुरक्षा करने वालों को मान्यता प्रदान करने के लिए 2007 में पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय अभिज्ञान की और उनकी 2009 में पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय पुरस्कार का शुभारम्भ किया।

**उद्देश्य**

पादप जीनोम सरंक्षण प्राधिकरण पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर की खोज तथा प्रायोजन के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य निम्नलिखित है :

- ऐसे कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर जनजाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता पहुँचाना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से कृषि जैव विविधता वाले विशेष स्थलों या हॉट-स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

**पुरस्कार का परिचय**

पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय पुरस्कार समाचार पत्रों, सामुदायिक संचार माध्यमों, संस्थाओं को भेजी गई सूचना आदि के प्रत्युतर में सीधे संगठनों द्वारा अथवा प्रायोजकों/ सुविधकों के माध्यम से कृषकों/ कृषक समुदाय से प्राप्त आवेदेनों के आधार पर प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में दिये जा सकते हैं।

- पुरस्कार प्रति वर्ष दिये जाएंगे।
- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 पुरस्कार दिये जाएंगे।
- पुरस्कार की राशि 10 लाख रूपये होगी।
- समुदाय का प्रतिनिधित्व पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा उचित रूप से नियुक्त किए गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए।
- यह पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम से बहु-नगरीय चैक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया जाएगा जो समुदाय के द्वारा उपयोग के लिए संयुक्त खाते में जमा किया जा सकता है।

**पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए पात्रता**

- यह पुरस्कार उन सभी भारतीय कृषक समुदायों, विशेषकर जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों के लिए है जो विशेष रूप से कृषि जैव-विविधता वाले विशेष स्थलों/ हॉट-स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।
- आवेदन आनुवंशिक संसाधनों के सरंक्षण में समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित दावों पर प्रमाणित सूचना प्रमाण/ विवरण/ सबूत सहित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- आवेदक द्वारा यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि सामग्री का उपयोग किसी पादप प्रजनक/ संगठन द्वारा बेहतर किस्मों के विकास हेतु किया गया है।
- दावे का सत्यापन किया जाएगा और यदि अधिक सूचना की आवश्यकता होगी तो आवेदक/ प्रायोजनकर्ता/ सुविधक यह सूचना उपलब्ध कराएगा। तदनुसार पुरस्कार देने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

**अपेक्षाएं**

- आवेदक(कों) के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणित सूचना प्रस्तुत करें जिससे यह सिद्द हो सके कि कृषकों के समुदाय ने फसल आनुवंशिक विविधता का सरंक्षण किया है।
- इसी प्रकार, यदि बड़े पैमाने पर कृषकों की किस्मों के बीजोत्पादन से संबंधित कोई सूचना मौजूद हो तो उसे भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पुरस्कार के लिए छाँटे गए आवेदक(कों) को क्रियाविधि के अनुसार बीज/ रोपण सामग्री की एक निश्चित मात्रा जमा करानी होगी और यह पुरस्कार प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त है।
- आवेदकों द्वारा पुरस्कार की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। पुरस्कार की राशि का उपयोग प्राधिकरण के बिना किसी प्रतिबंध के समुदाय द्वारा निर्धारित किए गए समुदाय के कल्याण से संबंधित किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। कल्याण संबंधी कार्य में कोई भी नवीन परियोजना/ विकास योजना आदि सम्मिलित हैं, जैसे स्थानीय बीज विकास बैंक का विकास, सरंक्षण स्थल पर जल सरंक्षण संबंधी क्रियाकलाप, अनाज/ बीज गहायी संबंधी सुविधा, कटाई उपरांत प्रसंस्करण सुविधाएँ, कृषि स्कूलों की स्थापना, टिकाऊ सामुदायिक क्रियाकलाप आदि।
- पंचायते, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की संस्थाएं, प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठन, स्वयं सेवी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, कृषकों की एसोसिएशन आदि नामांकन प्रायोजित कर सकते हैं।

**आवेदन-पत्र**

- आवेदन पत्र अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है। पूर्ण आवेदन-पत्र के एक सैट जो पूरी तरह से भरा हुआ हो अंतिम तिथि से पहले प्राधिकरण में पहुँच जाना चाहिए।
- आवेदन पत्र पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण के कार्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों आदि से प्राप्त किया जा सकता है।
- दिशानिर्देश व आवेदन-पत्र प्राधिकरण की वैबसाइट www.plantauthority.gov.in से भी डाउन लोड किए जा सकते है।
- पूरी तरह भरे गए आवेदन पत्र का एक सैट सहायी या समर्थनकारी सूचना के साथ प्राधिकरण को निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए:

  रजिस्ट्रार (कृषक अधिकार)
  पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण
  एस-2, 'ए'-ब्लॉक
  एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के निकट
  नई दिल्ली-110 012
  दूरभाष: 011-25840777 (कार्यालय); 011-25840478 (फैक्स)
  ई-मेल: ppfra-agri@nic.in

**अनुबंध-1**

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**

एस-2 'ए' ब्लॉक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के निकट

नई दिल्ली-110 012

**'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' के लिए आवेदन-पत्र**

(विशेषकर कृषि जैव-विविधता के विशेष स्थलों/ हॉट-स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में चयन और संरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के आनुवंशिक संसाधनों और उन पौधों के वन्य संबंधियों के सरंक्षण में कार्यरत कृषक समुदायों के लिए)

वर्ष .....

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक/ समुदाय का नाम<br>(स्पष्ट अक्षरों में) | |
| 2 | डाक पता (पत्राचार के लिए)<br>ब्लॉक<br>गाँव<br>डाकघर<br>जिला<br>राज्य<br>पिन<br>दूरभाष (यदि कोई हो) | |
| 3 | आवेदक का स्तर<br>(समुदाय/ संगठन आधारित कृषक समुदाय) | |
| 4 | वह कृषि जैव विविधता वाला हॉट-स्पॉट्स क्षेत्र जहां का समुदाय/ आवेदक है।<br>(कृपया सूची देखें) | |
| 5 | सरंक्षण स्थल(लों) की स्थिति(याँ) | |
| 6 | वह पौधे/ फसल(लें) जिनके सरंक्षण के प्रयास किए गए हैं। | |
| 7 | कितनी किस्में (कृषक किस्में/ आर्थिक महत्व के पौधे, वन्य संबंधी और अन्य आनुवंशिक संसाधन भी सम्मिलित हैं) सरंक्षित की गई हैं।<br>(पौधा/ फसल वार विवरण दें) | |
| 8 | आवेदक ने कितने क्षेत्र में सरंक्षित किस्मों की रोपाई/ खेती की है।<br>(विवरण दें) | |
| 9 | क्या सस्यविज्ञानी प्रथाओं/ भंडारण तकनीकों जैसी सरंक्षण की कोई नई विधि विकसित की गई/ अपनाई गई है?<br>(विवरण दें) | |
| 10 | उन किस्मों से संबंधित सूचना दें (यदि | |

| | | |
|---|---|---|
| | उपलब्ध हों तो) जिनकी अन्य लोगों/ संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है। | |
| 11 | सरंक्षित किस्म/ किस्मों में कौन सा विशेष गुण पहचाना गया।<br>(किस्म वार विवरण दें) | |
| 12 | उस संगठन का नाम बतायें, यदि कोई हो तो, जिसने सरंक्षित किस्मों में किसी उपयोगी गुण की पहचान की है। | |
| 13 | क्या किस्म(मों) की जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा रखे जा रहे जन-जैव विविधता रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है? | हां/ नहीं |
| 14 | क्या कृषक समुदाय को किसी अन्य संगठन द्वारा उसके सरंक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है।<br>(विवरण दें) | |
| 15 | किए गए दावे से परिचित ऐजेंसियों के नाम (सरकारी अथवा स्वयं सेवी संगठन) बताएँ। | सरकारी<br>स्वयं सेवी संगठन |
| 16 | पुरस्कार की राशि के उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्य योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें।<br>(15-20 पंक्तियों में) | |

**टिप्पणी:**

1. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. कृषक समुदाय के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है।
3. किसी भी कॉलम के संबंध में विवरण/ अधिसूचना देने के लिए अनुबंध के रूप में अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते है।
4. पुरस्कार के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।

**अनुबंध-2**

**पौधा किस्म और कृषक अधिकर संरक्षण प्राधिकरण**

एस-2 'ए' ब्लॉक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के निकट

नई दिल्ली-110 012

**घोषणा**

**(उस समुदाय/ संगठन/ पंजीकृत सोसायटी से अनौपचारिक स्वीकृति के रूप में सलंग्न किया जाना है जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसने संसाधन का सरंक्षण किया है, उसमें सुधार किया है उसे परिरक्षित किया है या उसकी साझेदारी की है।)**

उस व्यक्ति का नाम व पता/ दूरभाष/ ई-मेल जिससे रजिस्ट्रार, पीवीपी और एफआरए पत्राचार कर सकता है:

| | | |
|---|---|---|
| नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | : | |
| कृषि जैव विविधता का हॉट-स्पॉट (सूची के अनुसार) | : | |
| डाक का पता (पत्राचार के लिए) | : | |
| ब्लॉक | : | |
| गाँव | : | |
| डाकघर | : | |
| जिला | : | |
| राज्य | : | |
| पिन | : | |
| दूरभाष व ई-मेल (यदि कोई हो) | : | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आनुवंशिक सामग्री(यों) का सरंक्षण, सुधार, परिरक्षण और उनकी खेती उस आवेदक(कों)/ कृषक समुदाय(यों) द्वारा किया गया है जो उपरोक्त गाँव(वों) के स्थायी निवासी हैं तथा मैं/ हम आवेदक कृषकों/ समूह अथवा कृषक समुदाय तथा प्रत्याशी किस्म/ किस्मों से भली भांति परिचित हूँ/ हैं। आवेदन में दी गयी सूचना/ जहाँ तक मेरा विश्वास, मेरे पास उपलब्ध सूचना और ज्ञान का संबंध है, पूरी तरह सही है (विकल्पों में दिये गए वे शब्द जो लागू न हों, कृपया काट दें)।

हस्ताक्षर

**(कृषक समुदाय का/ के प्रतिनिधि)**

**राजपत्रित अधिकारी/ पंचायत/ पंजीकृत संगठन द्वारा सत्यापित**

(संबंधित पंचायत जैव-विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/ सचिव अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजाति विकास अधिकारी)

**(मोहर, तिथि सहित हस्ताक्षर)**

**अनुबंध-3**

## भारत के कृषि जैव-विविधता वाले हॉट-स्पॉट्स

| क्र.सं. | हॉट-स्पॉट क्षेत्र | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | शीत मरुस्थल | लद्दाख तथा कारगिल के पश्चिमी हिमालय। हिमालय प्रदेश के लाहोल-स्पिति जिले के ऊपरी भाग। |
| 2 | पश्चिमी हिमालय | जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, रियासी, काठुआ जिले, शीत शुष्क क्षेत्र के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश तथा उतराखंड के सभी जिले। |
| 3 | पूर्वी हिमालय | अरुणाचल प्रदेश के सभी जिले, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। |
| 4 | ब्रह्मपुत्र घाटी | धुबरी, कोकरझर, बोंगईगांव, बरपेटा, नालबरी, गोलपारा, कामरूप, गोलाघाट, दरांग, मोरीगाँव, नागाँव, सोनितपुर, जोरहाट, लखीमपुर, सिबसागर, डिबरूगढ़, धेमाजी तथा तिंसुकिया। |
| 5 | खासिया-जैंतिया-गारो पहाड़ियाँ | मेघालय के सभी सात जिले, अर्थात पूर्वी गारो पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी, दक्षिणी गारो पहाड़ी, पूर्वी खासी पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी तथा रोई-भोई। |
| 6 | उत्तर-पूर्वी पहाड़ियाँ | मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के सभी जिले तथा असम के कछार तथा उतरी कछार जिले। |
| 7 | शुष्क पश्चिमी क्षेत्र | राजस्थान के सीकर, नागौर, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू तथा झुंझुनु जिले। |
| 8 | मालवा पठार तथा मध्य उच्च क्षेत्र | मालवा पठार, मध्य उच्च क्षेत्र, मेवाड़, पठार तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्र; शहडोल, राइसेन भोपाल, सिहोर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसोर, राजगढ़ हौशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, उमेरिया जिले। |
| 9 | काठियावाड़ | गुजरात के अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, भड़ौच, सूरत, नवसारी, वलसाड, बनासकांठा और आनन्द जिले। |
| 10 | बुंदेलखंड | उतरप्रदेश में झाँसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन एवं ललितपुर जिले तथा मध्य प्रदेश में दमोह, दतिया, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले। |
| 11 | गंगा के ऊपरी मैदान | मध्य प्रदेश में हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, राय बरेली, कानपुर, कन्नौज जिले; तथा उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती जिले। |
| 12 | गंगा के निचले मैदान | उतरी बिहार में पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारन, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, जहानाबाद, |

| | | |
|---|---|---|
| | | वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, श्योहर जिले। |
| 13 | गंगा के डेल्टा | मोटे तौर पर इनमें शामिल है: डेल्टा वाले 24-परगना जिले तथा हुगली, हावड़ा, नाडिया, बर्धमान, बीरभूमि तथा मुर्शीदाबाद, जिले। |
| 14 | छोटानागपुर | झारखंड में सिंघभूम, गुमला, रांची, लोहारडगा, पलामू, हजारीबाग तथा सांथल परगना और उड़ीसा में मयूरभंज जिला। |
| 15 | बस्तर | छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जैशपुर, कबीरधाम, कांकेर, किर्बा, कोरिया, महासमुंद, कोंडागाँव तथा राजनंदगाँव जिले। |
| 16 | कोरापुट | उड़ीसा के माल्कनगिरी, सोनाबेड़ा, जयपोर, कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, बोलंगीर, रायागादा जिले तथा उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश के जिले अर्थात श्रीकाकुलम, विजयानगरम तथा विशाखापटनम। |
| 17 | दक्षिण पूर्व घाट | आंध्रप्रदेश में चित्तूर, अनंतपुर, कड्प्पा तथा कुरनूल जिले एवं कर्नाटक में बैलारी, रायचुर तथा कोलार जिले। |
| 18 | कावेरी | चेंगलपुट, दक्षिणी आर्कोट, उत्तरी आर्कोट, तिरुवनंतमलई, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, तिरुवरूर, वेल्लोर, काँचीपुरम, धर्मापुरी, सेलम, नमक्कल, करुर तथा डिंडीगल जिले। |
| 19 | दक्कन | महाराष्ट्र में जालना, हिंगोली, परभनी, बीड, नांदेड़, लातूर, ओस्मानाबाद, सोलापुर, सांग्ली, गोंडिया, गडचिरोली, जिले; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल तथा खम्मम जिले तथा कर्नाटक में बीदर तथा गुलबर्गा जिले। |
| 20 | कोंकण | महाराष्ट्र के थाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, सहाद्रि के तटीय जिले, पुणे का कुछ भाग और सतारा तथा कोल्हापुर; गोवा के सभी जिले तथा कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला। |
| 21 | मालबार | केरल के कैसरगोड, कन्नूर, वयानाद, कोजीकोडे, मालप्पुरम, पालकाड, त्रिचुर, इडुक्की, एर्नाकुलम, एलापुजा, कोल्लम, कोट्टयम, पाथनमथिट्टा एवं तिरुवनन्तपुरम जिले; तमिलनाडु के उधगमंडलम (नीलगिरि) एवं कन्याकुमारी जिले तथा कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, कोडगु तथा उडुपि जिले। |
| 22 | द्वीप समूह | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप। |

पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय पुरस्कार के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा पौधा संजीन उद्दारक कृषक पुरस्कार भी किसानों को वैयक्तिक रूप से दिया जाता है। जिसके बारे में सरकारी आदेशों द्वारा दी गयी जानकारी निम्नवत हैं:

**सा.का.नि. 601(अ).** केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) नियम, 2012 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पुरस्कार:

(i) ऐसा कृषक, जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के सरंक्षण में और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगा हुआ है, एक पुरस्कार का हकदार होगा, जिसे "पौधा संजीन उद्दारक कृषक पुरस्कार" कहा जाएगा ।

(ii) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दस या उससे कम पुरस्कार होंगे ।

(iii) प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और एक लाख पचास हजार रूपए नकद सम्मिलित होंगे।

3. मान्यता:

(i) नियम 2 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कृषक मान्यता का हकदार होगा जिसे पौधा संजीन उद्दारक कृषक मान्यता कहा जाएगा।

(ii) मान्यता में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम बीस मान्यता प्रमाण पत्र के अधीन रहते हुए एक प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपये नकद सम्मिलित होगा।

4. मान्यता और पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाना:

(i) कृषकों को मान्यता और पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।

(ii) जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार के लिए ब्यौरे और आवेदन प्ररूप समाचार पत्रों के माध्यम से और प्राधिकरण की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से प्रचारित किए जाएंगे।

5. पात्रता और पुरस्कार प्राप्तकर्ता का अवधारण समिति द्वारा किया जाना:

(i) मान्यता और पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अनुसार होंगे।

(ii) किसी कृषक को धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अनुसार मान्यता और पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के सरंक्षण में चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगना होगा और इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री को अधिनियम के अधीन पंजीयन के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया हो।

(iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग में विस्तार कार्य को देखने वाले अपर सचिव/ विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली तेरह सदस्यीय समिति जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की पात्रता और चयन का अवधारण करेगी।

(iv) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

| | | |
|---|---|---|
| क. | अपर सचिव/ विशेष सचिव, विस्तार कार्य को देखने वाले कृषि एवं सहकारिता विभाग | अध्यक्ष |
| ख. | उपमहानिदेशक (कृषि विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | सदस्य |
| ग. | उपमहानिदेशक (सीएपीएआरटी) | सदस्य |
| घ. | संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि एवं सहकारिता विभाग | सदस्य |
| ड. | संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग | सदस्य |
| च. | संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य |
| छ. | संयुक्त सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय | सदस्य |
| ज. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड | सदस्य |
| झ. | सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | सदस्य |
| ञ से ठ | कृषक संगठन, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन, जो कृषि और कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| ड़ | रजिस्ट्रार (कृषक अधिकार) | पदेन सदस्य सचिव |

(v) समिति की गणपूर्ति पांच होगी।

(vi) मान्यता और पुरस्कार के लिए चयनित कृषकों को प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए बीजों की विनिर्दिष्ट मात्रा या प्रसार सामग्री को राष्ट्रीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण के जीन बैंक में जमा करना होगा।

(vii) पौधा संजीन उद्दारक कृषक पुरस्कार या पौधा संजीन उद्दारक कृषक मान्यता के लिए एक बार हकदार कृषक पुनः आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

6. आवेदन प्ररूप:

(i) पौधा संजीन उद्दारक कृषक पुरस्कार या पौधा संजीन उद्दारक कृषक मान्यता के लिए आवेदन प्ररूप इन नियमों की अनुसूची-1 के अनुसार होगा।

(ii) आवेदक इन नियमों की अनुसूची-2 में दिये गए प्ररूप में घोषणा को जमा करेगा।

(iii) आवेदन संबद्द पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या संबद्द जिला कृषि अधिकारी या संबद्द राज्य कृषि विश्वविद्यालय या संबद्द जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक के माध्यम से अग्रेषित होगा।

**अनुसूची-1**

[नियम 6(1) देखिए]

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण**

एस-2 'ए' ब्लॉक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने

नई दिल्ली-110 012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 (पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 39 की उपधारा (1) का खंड (iii) के अधीन पंजीयन योग्य पौधा संजीन उद्दारक कृषक पुरस्कार/ मान्यता के लिए ऐसा कृषक जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के सरंक्षण और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे हैं और इस प्रकार चयनित और सरंक्षित सामग्री अधिनियम के अधीन पंजीयन के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया है, के लिए आवेदन प्ररूप।

वर्ष .....

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) | |
| 2 | डाक पता (पत्र व्यवहार के लिए)<br>ब्लॉक<br>गाँव<br>डाकघर<br>जिला<br>राज्य<br>पिन<br>दूरभाष (यदि कोई हो)<br>ई-मेल<br>फैक्स<br>मोबाइल | |
| 3 | सरंक्षण स्थल (स्थलों) की अवस्थिति (अवस्थितियां) | |
| 4 | पौधे और किस्में जिनके सरंक्षण के प्रयास किए गए हैं। | |
| 5 | क्या इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्री योग्य किस्मों के जीनों के दाता के रूप में उपयोग की गई है? | |

| | | |
|---|---|---|
| | (संबद्द संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र सलंग्न करें) | |
| 6 | कितनी किस्में (जिसके अंतर्गत कृषक किस्में, भू-प्रजाति, जंगली अन्योन्याप्रयी और अन्य आनुवंशिक स्त्रोत भी सम्मिलित हैं) परीरक्षित की गई है?<br>(पौधा/ फसल वार ब्यौरे दें) | |
| 7 | आवेदक द्वारा परिरक्षित किस्मों की कितने क्षेत्र में पौधा रोपण/ उगाई की गई?<br>(ब्यौरें दें) | |
| 8 | परिरक्षण की कोई नवीन प्रक्रिया जैसे संवर्धन व्यवहार, भंडारण तकनीक आदि विकसित की गई/ अपनाई गई?<br>(ब्यौरें दें) | |
| 9 | उन किस्मों के बारे में जानकारी दें जिन्हें परिरक्षित किस्म के साथ विकसित किया गया। | |
| 10 | परिरक्षित किस्म या किस्मों में पहचान की गई भिन्नता क्या है? | |
| 11 | संगठन का नाम, यदि कोई हो, जिसने परिरक्षित किस्म में कोई उपयोगी विशेषता की पहचान की है। | |
| 12 | क्या कृषक को किसी अन्य संगठन द्वारा परिरक्षण के प्रयास के लिए पुरस्कार या मान्यता दी गई है? | |
| 13 | अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावों से परिचित हों। | i. सरकारी<br>ii. गैरसरकारी (संगठन) |
| 14 | क्या जनता के जैव विविधता रजिस्टर में सामग्री को स्थान दिया गया है। | |

**टिपण्णी**:

1. कृपया आवेदन प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. आवेदन करने की कोई फीस नहीं है।
3. विवरण/ किसी कालम में जानकारी के लिए अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में जोड़ सकते हैं।
4. पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण के पदधारियों से कोई भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।
5. घोषणा सलंग्न की जाए।

**अनुसूची-2**

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**

एस-2 'ए' ब्लॉक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने

नई दिल्ली-110 012

**घोषणा**

[नियम 6(2) देखिए]

उस व्यक्ति का नाम व पता/ दूरभाष सं./ ई-मेल जिसके साथ रजिस्ट्रार, पीपीवी और एफआरए पत्र व्यवहार कर सकता है:

| | | |
|---|---|---|
| नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | : | |
| डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए) | : | |
| ब्लॉक | : | |
| गाँव | : | |
| डाकघर | : | |
| जिला | : | |
| राज्य | : | |
| पिन | : | |
| दूरभाष (यदि कोई हो) | : | |

आवेदन में दी गई जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित कृषक ने इस आवेदन प्ररूप में वर्णित सामग्री का परिरक्षण और सुधार किया है और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्टर योग्य किस्मों में जीनों के दाता के रूप में उक्त सामग्री का उपयोग किया गया है।

(संबद्द पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्ष/ सचिव अथवा संबद्द जिला कृषि अधिकारी या संबद्द राज्य कृषि विश्वविद्यालय या संबद्द जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक द्वारा सत्यापित होगा)।

*******